तलाक़ के मसाईल

लेखक
मुहम्मद इक़बाल कीलानी

अल किताब इंटरनेशनल
मुरादी रोड बटला हाउस जामिया नगर
नई दिल्ली-25

पुस्तक का नाम : तलाक़ के मसाइल

लेखक : मुहम्मद इक़बाल कीलानी

प्रकाशन वर्ष : 2009

मूल्य : ये)

CURRENT PRICE
Rs.
AL - KITAB INTERNATIONAL

प्रकाशक : **अल-किताब इन्टर नेशनल**

जामिया नगर, नई दिल्ली-110025

Phone : 9312508762, 9310008762, 9310108762, 26986973

E-mail : al-kitabint@yahoo.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

दो शब्द

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد .

तलाक़ दाम्पत्य जीवन का बड़ा कष्टदायक मोड़ होता है, जिसके द्वारा पति व पत्नी के बीच निकाह का पवित्र रिश्ता टूट जाता है, इस्लाम में तलाक़ हलाल तो है मगर नापसन्दीदा है "तलाक़ के मसाइल" नामक पुस्तक में इसके सभी पहलुओं पर किताब व सुन्नत की रौशनी में बहस की गई है।

किताब के लेखक प्रसिद्ध विद्वान मौलाना मुहम्मद इक़बाल कीलानी हैं, शैख़ कीलानी सालों से सऊदी अरब रियाज़ के जामिअतुल मुल्क सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ में अध्यापक हैं, आप ने "तफ़हीमुस्सुन्नह" के नाम से दीन के बुनियादी अहकाम व मसाइल पर बड़ी मुफ़ीद किताबें लिखी हैं।

"तलाक़ के मसाइल" आप के हाथों में है। हमें पूरा यक़ीन है कि इसके अध्ययन से आपको तलाक़ के मसाइल की जानकारी हासिल होगी। अल किताब इन्टर नेशनल की ओर से मौलाना कीलानी की बहुत सी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, हम मोहतरम मौलाना मुहम्मद इक़बाल कीलानी साहब के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने अपनी किताबों को प्रकाशित करने की इजाज़त दी। अल्लाह उन्हें सवाब से नवाज़े और मुसलमानों को इन किताबों से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने का सौभाग्य प्रदान करे।

प्रकाशक

विषय सूची

औरतों के अधिकारों के आन्दोलन वालों के नाम!

हम पूरी निष्ठा और हमदर्दी के साथ औरतों के अधिकारों के आन्दोलन वालों को यह दावत देते हैं कि वह पैग़म्बरे इस्लाम सल्ल० के लाए हुए दीन की सामाजिक प्रणाली का अक़ीदा के तौर पर न सही एक इस्लाही आन्दोलन के तौर पर ही, संजीदगी से अध्ययन करें और फिर बताएं कि............!

- बेटियों को ज़िन्दा दफ़न करने की संगदिलाना रस्म का ख़ात्मा किसने किया?
- एक एक औरत के साथ एक साथ दस दस मर्दों के निकाह की जाहिलाना रस्म किसने मिटाई?
- औरतों को मर्द के ज़ुल्म और अत्याचार से बचाने के लिए असीमित तलाक़ों का ज़ालिमाना क़ानून किसने निरस्त किया?
- बेटी की शिक्षा दीक्षा पर जहन्नम की आग से बचने की शुभ सूचना कौन लेकर आया?
- औरत को शिक्षा के निकट करने की बुनियाद किस ने डाली?
- औरत की मर्द के साथ प्राकृतिक समानता का झंडा किसने बुलन्द किया?
- औरत को खाने कमाने से सम्मानपूर्वक आज़ादी किसने दिलाई?
- विधवा और तलाक़शुदा औरतों से निकाह करके औरत को इज़्ज़त और महानता किसने प्रदान की?
- औरत को पवित्र ज़िन्दगी बसर करने पर जन्नत की ज़मानत किसने दी?
- औरत की इज़्ज़त और आबरू से खेलने वाले अपराधियों को संगसार करने का क़ानून किसने लागू किया?
- औरतों को मां के रूप में, मर्द के मुक़ाबले में तीन गुना ज़्यादा सद व्यवहार का हक़दार किसने क़रार दिया?

- औरत के बुढ़ापे को सम्मानजनक और सुरक्षा किसने प्रदान की?

हम पूरी सूझ बूझ से यह दुआ करते हैं कि इंसानी इतिहास में पैग़म्बरे इस्लाम, मोहसिने इंसानियत मुहम्मद सल्ल० ही वह पहले और आख़िरी व्यकित हैं जिन्होंने कायनात की पीड़ित और तुच्छ प्राणी...........औरत..... ....को बेरहम, ज़ालिम और बर्बर जिन्सी दरिन्दों के चंगुल से निकालकर दुनियाए इंसानियत से परिचित कराया, औरत के अधिकार निश्चित किए और उनका तहफ़्फ़ुज़ फ़रमाया। इसे मुआशिरे में बड़ी इज़्ज़त और प्रतिष्ठा के साथ एक सम्मानजनक हैसियत से नवाज़ा।

हक़ बात यह है कि औरत तो क़यामत तक नबी सल्ल० के अहसानों के बोझ से निकलना चाहे भी तो नहीं निकल सकती।

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ اَمَّا بَعْدُ!

व्यक्तिगत जीवन हो या सामूहिक जीवन, इस्लाम बुनियादी तौर पर अनुशासन, सहमति व एकता, भाईचारा और मुहब्बत व दया का ध्वजावाहक है। फूट और बिखराव, अनुशासनहीनता और संबंध विच्छेद को सख़्त निंदनीय समझता है। अनुशासन और आपसी सहमति व एकता से ज़िन्दगी बसर करने की इस्लाम ने यहां तक शिक्षा दी है कि यदि तीन आदमी भी सफ़र कर रहे हों तो हुक्म यह है कि वे अपने में से किसी एक को अमीर बनाकर सफ़र करें (अबू दाऊद) सिला रहमी और रिश्तेदारी के हक़ों का उल्लेख करते हुए रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया "रिश्तों को काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा।" (बुख़ारी व मुस्लिम) एक और हदीस में इरशादे मुबारक है "रहम अल्लाह तआला के अर्श के साथ संलग्न है और कहता है जो मुझे मिलाए अल्लाह उसे मिलाएगा जो मुझे काटे अल्लाह उसे काटेगा।" (बुख़ारी व मुस्लिम) आम मुसलमानों को यहां तक मिल जुलकर और मुहब्बत के साथ रहने का हुक्म दिया गया है कि इरशादे नबवी है : "किसी मुसलमान के लिए अपने मुसलमान भाई से तीन दिन से ज़्यादा संबंध विच्छेद जाइज़ नहीं और जो व्यक्ति तीन दिन के बाद संबंध विच्छेद की हालत में मर गया वह आग में जाएगा।" (अहमद, अबू दाऊद) और इरशादे मुबारक है जिसने साल भर तक अपने भाई से संबंध विच्छेद किया उसके ज़िम्मे क़त्ल करने के बराबर गुनाह होगा।" (अबू दाऊद)

सामूहिक स्तर पर राज्य में विद्रोह, सरकशी और फूट को रोकने के लिए इरशाद फ़रमाया "अगर कोई तुम्हारे ऊपर नाक कटा और कान कटा शासक बना दिया जाए तो तुम्हें किताबुल्लाह के अनुसार हुक्म दे तो उसकी बात सुनो और उसकी आज्ञा का पालन करो।" (मुस्लिम) और फरमाया : "अगर कोई व्यक्ति अपने शासक में बुरी चीज़ देखे तो उसे सब्र करना चाहिए

क्योंकि जो व्यक्ति (विद्रोह करके मुसलमानों) की जमाअत से बालिश्त भर भी अलग हुआ तो वह अज्ञानता की मौत मरा।" (बुख़ारी, मुस्लिम) समस्त आदेशों से यह अन्दाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में इस्लाम अनुशासन, एकता व सहमति और भाइचारा को कितना अधिक महत्व देता है। यह तो आम समाज के लोगों को आपस में जुड़ने, मिलाने और मिल जुलकर साथ जीवन बसर करने की शिक्षा देने के आदेश हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में तो इस्लाम की धारणा ही यह है कि यह संबंध (अर्थात निकाह) ज़िन्दगी भर साथ निभाने और एक दूसरे के साथ वफ़ा करने का संबंध जिसके लिए अल्लाह विशेष रूप से दोनों के दिलों में मुहब्बत और स्नेह की भावना पैदा कर देते हैं यहां तक कि दोनों पक्ष एक दूसरे की समीपता से सुख महसूस करने लगते हैं दाम्पत्य जीवन की इस छोटी सी यूनिट के अंदर अनुशासन, सहमति और भाइचारे को इस्लाम कितना महत्व देता है इसका अन्दाजा हक़ों से लगाया जा सकता है जो इस्लाम दोनों के लिए निश्चित करता है पति के हक़ मुक़र्ररं करते हुए आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया "अगर मैं (अल्लाह के अलावा) किसी दूसरे को सजदा करने का हुक्म देता तो पत्नी को हुक्म देता कि वह पति को सजदा करे।" (तिर्मिज़ी) एक दूसरी हदीस में इरशादे मुबारक है : "उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है जब पति पत्नी को अपने बिस्तर पर बुलाए और पत्नी इन्कार करदे तो वह ज़ात जो आसमानों में है नाराज़ रहती है यहां तक कि उसका पति उससे राज़ी हो जाए।" (मुस्लिम) "पत्नी को गाली न दो।" (मुस्लिम) "पत्नी को लौंडी की तरह न मारो।" (बुख़ारी) "पत्नियां तुम्हारे पास क़ैदियों की तरह हैं उनके हक़ में भलाई की बात क़ुबूल करो।" (तिर्मिज़ी) और फ़रमाया : "तुममें सबसे ज़्यादा बेहतर वह है जो अपनी पत्नी के हक़ में बेहतर है।" (तिर्मिज़ी)

सोच विचार कीजिए! अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० पर ईमान रखने वाला कोई भी मर्द या औरत अपने दाम्पत्य जीवन में उल्लिखित इर्शादों की अवहेलना करके इस्लाम की दी हुई उच्च व्यवस्था को अकारण खंडित करने की कल्पना कर सकता है?

लेकिन इंसानी स्वभाव और आदतों में मतभेद के कारण उतार चढ़ाव इंसानी ज़िन्दगी के अनिवार्य हिस्से हैं बल्कि ज़िन्दगी के बाक़ी मामलों के मुक़ाबले में दाम्पत्य जीवन पर दुख और आज़माइश कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नज़र आते हैं इब्लीस के चेले चांटे हर जगह और हर समय लोगों के दाम्पत्य जीवन को खंडित करने के लिए तैयार रहते हैं। रसूले अकरम सल्ल० का इरशादे मुबारक है : "इब्लीस का तख़्त पानी पर है (जहां से वह पूरी दुनिया में) अपने लश्कर रवाना करता है और उसे सबसे ज़्यादा प्रिय वह शैतान होता है जो सबसे बड़ा फ़ितना बरपा करे। (वापस आकर) एक कहता है "मैंने फ़लां फ़लां कारनामा अंजाम दिया।" इब्लीस कहता है "तूने कुछ भी नहीं किया।" फिर दूसरा आता है वह कहता है "मैं फ़लां फ़लां मर्द और औरत के पीछे पड़ा रहा यहां तक कि दोनों को एक दूसरे से अलग करके छोड़ा।" इब्लीस उसे अपने पास तख़्त पर बिठा लेता है और कहता है "तूने बड़ा अच्छा काम किया।" (मुस्लिम) इन इब्लीसी कार्रवाइयों के नतीजे में कभी कभी फ़ितने यूं सर उठाते हैं कि पीछा ही नहीं छूटता इंसान की सारी की सारी सूझ बूझ और अक़्लमन्दी धरी की धरी रह जाती है और कुछ दिखाई नहीं देता इंसान क्या करे क्या न करे प्यार और मुहब्बत के नाज़ुक शीशे में बाल आ जाता है भावनाएं घायल होने लगती हैं निष्ठा और भरोसे का रिश्ता कमज़ोर होने लगता है वफ़ा बेवफ़ाओं में और ख़ुशफ़हमियां, ग़लतफ़हमियों में बदलने लगती हैं ऐसे हालात में भी इस्लाम यथा संभव यह कोशिश करता है कि ख़ानदान एकता और मिल जुलकर किसी न किसी तरह बरक़रार रहे अतएव हुक्म यह कि अगर किसी मर्द की पत्नी बेरुखी, उद्दंडता या अवज्ञा का तरीक़ा अपनाती है तो मर्द को तुरन्त तलाक़ का फ़ैसला नहीं करना चाहिए बल्कि पहले अवसर में पत्नी को प्यार और मुहब्बत से समझाना चाहिए अगर उसमें नाकामी हो तो दूसरे अवसर में चेतावनी के लिए घर के अन्दर उसका बिस्तर अलग कर देना चाहिए अगर इस में भी औरत अपना रवैया न बदले तो तीसरे डांट डपट के साथ हल्की मार मारने की इजाज़त भी दी गई है। (विस्तार के लिए देखें सूरह निसा, आयत : 34) इसी तरह अगर ज़्यादती और उद्दंडता मर्द की तरफ़ से हो तब भी हुक्म यह

है कि औरत को तुरन्त ख़ुला का फ़ैसला नहीं करना चाहिए बल्कि सब्र व सहनशीलता और सूझबूझ के साथ पति की बेरुख़ी और उद्दंडता के कारण मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर यथा संभव उन कारणों की क्षतिपूर्ति करके पति का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए अपने घर की सलामती के लिए औरत को अगर अपने हक़ों में कुछ कमी भी करनी पड़े तो उससे भी पीछे नहीं रहना चाहिए। (विस्तार के लिए देखें सूरह निसा, आयत : 128)

पति पत्नी आपसी मतभेद ख़त्म करने की सारी तदबीरें कर गुज़रें और फिर भी दोनों के बीच वफ़ा का रिश्ता पैदा न हो सके तब भी तलाक़ देने से पहले एक और रास्ता बताया गया है वह यह कि पति के ख़ानदान में से किसी एक समझदार, नेक और न्याय प्रिय आदमी का चयन किया जाए इसी तरह पत्नी के ख़ानदान में से एक समझदार, नेक और न्याय प्रिय आदमी का चयन किया जाए वे दोनों सर जोड़कर बैंठे और दोनों के बीच सुधार के लिए अपनी सी कोशिश कर देखें (विस्तार के लिए देखें सूरह निसा, आयत : 35) अगर यह कोशिश भी नाकाम साबित हो तो फिर इस्लाम उस चेतावनी के साथ दोनों को एक दूसरे से अलग होने की इजाज़त देता है कि अकारण तलाक़ देने वाला मर्द बड़ा गुनाह का करने वाला होता है (हाकिम) और अकारण तलाक़ लेने वाली औरत पर जन्नत की ख़ुशबू हराम है (तिर्मिज़ी) इस चेतावनी के बावजूद दोनों एक दूसरे से अलग होने का फ़ैसला कर ही लें तो फिर शरीअत ने अलग होने का तरीक़ा ऐसा बेहतर बताया है कि अलग होने के इस तरीक़े में भी एक दूसरे को मिलाने की आख़िरी कोशिश नज़र आती है तलाक़ के लिए सबसे पहला हुक्म यह है कि मासिक धर्म में औरत को तलाक़ न दी जाए बल्कि पाकी की हालत में दी जाँए। मासिक धर्म एक बीमारी है जिसमें प्राकृतिक रूप से मर्द और औरत में कुछ दूरी पैदा हो जाती है जबकि पाकी में प्राकृतिक तौर पर मर्द व औरत एक दूसरे के क़रीब हो जाते हैं। इस्लाम सारे प्राकृतिक उपायों को तलाक़ के हक़ में नहीं बल्कि सुलह के हक़ में इस्तेमाल करना चाहता है अतः मासिक धर्म के दौरान तलाक़ देने पर पाबन्दी लगा दी गई। दूसरे तलाक़ के बाद तीन माह की

लम्बी अवधि मुक़र्रर करके पति को इस बात का पूरा पूरा अवसर दिया गया है कि अगर उसने जल्दी में या ग़ुस्से में किसी अस्थाई घटना से प्रभावित होकर पत्नी को तलाक़ दी है तो उन तीन महीनों में अपनी ग़ल्ती की क्षतिपूर्ति करने के लिए किसी समय भी पलट सकता है। दूसरे दौराने इद्दत पत्नी को अपने साथ घर में रखने और उसे पहले की तरह भरण पोषण अदा करने की पाबन्दी लगा दी गई ताकि अगर दोनों में सुलह की कुछ गुंजाइश हो तो दोनों के लिए अलेहदगी की बजाए सुलह का रास्ता तैयार किया जाए। ये सारे आदेश इस बात का स्पष्ट सबूत हैं कि इस्लाम आख़िरी हद तक ख़ानदानी व्यवस्था को सुरक्षा देना चाहता है और अलहदगी की इजाज़त केवल इस सूरत में देता है जब दोनों का अल्लाह की सीमाओं पर क़ायम रहना वास्तव में असंभव हो जाए।[1]

---

1. चलते-चलते एक नज़र पश्चिम की ख़ानदानी व्यवस्था पर भी डालते चलिए जिसकी भौतिक प्रगति और सांसारिक चकाचौंध ने हमारी आंखों को अंधा कर रखा है और हमारी सोचने समझने की ताक़तें इस हद ख़त्म होती जा रही हैं कि हम एक एक करके अपने तमाम नैतिक मूल्यों से बेनियाज़ होते जा रहे हैं जापानी नस्ल के अमेरिकी बुद्धिजीवी फ्रांस फ़ोको यामा ने अपनी किताब "एक ज़ाबते का ख़ात्मा" में इस हक़ीक़त को स्वीकार किया है कि पश्चिम में ख़ानदानी व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है निकाह के बिना ज़िन्दगी बसर करने के रुझान ने समाजी सतह पर ज़िम्मेदारी के एहसास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है पश्चिमी समाज ने औरतों को मर्द के बराबर रोज़गार की मार्कीट में लाकर और विवाहित औरतों के मुक़ाबले में सिंगल माओं (निकाह के बिना बाप बनने वाला मर्द सिंगल फ़ादर और निकाह के बिना मां बनने वाली औरत सिंगल मदर कहलाती है) को ज़्यादा सुविधाएं देकर शादी की महत्ता का एहसास ही ख़त्म कर दिया है। अमेरिकी साप्ताहिक नीव्ज़ वीक की रिर्पोट के मुताबिक़ पूरब में सिंगल मांओं का अनुपात बढ़ रहा है शादी के बिना मां बनने वालों में प्रायः नौ उम्र लड़कियां होती हैं जिन्हें यह मालूम ही नहीं कि बिना किसी प्लानिंग (अर्थात निकाह) के मां बन जाना कितनी बड़ी ग़ल्ती है। नीव्ज़ वीक के अनुसार स्वीडन में पैदा होने वाले आधे बच्चों का संबंध अविवाह मां बाप से होता है फ्रांस और ब्रिटेन में हर तीसरा बच्चा अपने मां बाप की नाजाइज़ औलाद होता है यही हाल आइरलैंड का है। डेनमार्क में सिंगल फ़ादर और सिंगल मदर की बढ़ती हुई संख्या की वजह से वहां की पारम्परिक ख़ानदानी व्यवस्था धीरे

शेष अगले पृष्ठ पर

हर क़ीमत पर ख़ानदानी व्यवस्था को सुरक्षा उपलब्ध करने की इस कोशिश को सामने रखते हुए हमने किताब के आरंभ में कुछ ऐसे अध्याय शामिल किए हैं जिनका तलाक़ से कोई संबंध नहीं बल्कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ रिश्ता वफ़ा क़ायम करने, एक दूसरे के हक़ों को पहचानने और एक आदर्श जीवन बसर करने के लिए प्रोत्साहित करने पर आधारित हैं। जिनमें 'आदर्श पति की विशेषताएं' 'आदर्श पत्नी की विशेषताएं' पति के हक़ों और उनके महत्व, शामिल हैं। इसी के साथ........नबी हज़रत मुहम्मद सल्ल० की पवित्र जीवनी की कुछ घटनाओं पर आधारित एक अध्याय भी किताब में शामिल किया गया है। जिसका उद्देश्य भ्रमों, ग़लतफ़हमियों और रंजिशों की दहलीज़ पर ख़ड़े पक्षों को शरअी आदेशों के हवाले से याद दिहानी कराना और नसीहत करना है, सुदूर नहीं कोई भाग्यवान मर्द या औरत रसूलुल्लाह सल्ल० के इरशादात पढ़कर या सुन्नत का इल्मी नमूना देखकर अपनी सोच बदल डाले या अपनी ग़ल्ती का एहसास करके क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब देही के भय से अपनी ग़ल्ती की क्षतिपूर्ति

धीरे ख़त्म हो रही है और यहां कि नई नस्ल ख़ानदानी व्यवस्था की टूट फूट के कारण अपराध, मादक पदार्थों और फिर हिंसा की ओर जा रही है इस तरह डेनमार्क भी अमेरिका बनता जा रहा है। चर्च ऑफ़ इंग्लैंड के चवालीस रहनुमाओं ने एक बयान में कहा कि अब वह इस बात पर बिल्कुल यक़ीन नहीं रखते कि इकट्ठे रहने वाले अविवाहित जोड़े कोई गुनाह करते हैं विवाह पर ज़्यादा ज़ोर देना पुरानी बात हो चुकी है अगर लोग निकाह के बिना इकट्ठे रहने पर ज़ोर देते हैं तो फिर चर्च को उन्हें रोकना नहीं चाहिए। मांचिस्टर के बिशप क्रिसटोफ़र्शील्ड का कहना है कि बिन बियाहे जोड़ों पर गुनाह की ज़िन्दगी ग़ुज़ारने का लेबल लगाने से अब कोई फ़ायदा नहीं। उनके मुताबिक़ पश्चिमी समाज में औरतों को जिन्सी आज़ादी के नाम खुली छूट दी गई उन्हें खुले तौर पर आसानी के साथ गर्भ निरोधक दवाएं मुफ़्त उपलब्ध कराई गई जिसके नतीजे में शादी का इदारा (ख़ानदान) सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। हर गुज़रने वाले साल में तलाक़शुदा लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है निकाह के बिना बिन बियाहे इकट्ठे रहने वाले जोड़ों ने "ख़ानदान" की जगह ले ली है नतीजा यह है कि सुदृढ़ ख़ानदानों की बजाए टूटे हुए घरों से निकलने वाले बच्चों की एक फ़ौज मोहल्लों और ग़लियों में छोटे बड़े अपराध करती फिरती है।

करने पर तैयार हो जाए और यूं नफ़रत और दुश्मनी की राह पर चलने वाले दो ख़ानदान मुहब्बत स्नेह और हंसी ख़ुशी का घरौंदा बन जाएं।

कठिन घाटी

मां बाप यद्यपि बड़े शौक़ से बहू घर लाते हैं लेकिन लगभग हर घर में बहुत जल्द सास और बहू का पारम्परिक विवाद शुरू हो जाता है। सास और बहू का झगड़ा हमारे समाज का उस हद तक अनिवार्य अंश बन चुका है कि इस बारे में बहुत से चुटकुले ज़बान पर आम हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प चुटकुला यह है कि सास अपनी बहू से झगड़े के बाद बड़ी हसरत से बोली "अफ़सोस मेरे तो उमर भर के नसीब फूटे रहे जब बहू बनी तो सास अच्छी न मिली जब सास बनी तो बहू अच्छी न मिली।" अर्थात वही औरत जो बहू के रूप में अपनी सास के ज़ुल्म व अत्याचार का निशाना बनी जब स्वयं सास बनी तो उसने भी समाज की पारम्परिक सास का रोल अपना लिया।

सास और बहू के विवाद में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना मर्द को करना पड़ता है जिसके सामने एक तरफ़ मां के शरअी हक़ और शरअी दर्जा होता है जिसके अनुसार रसूले अकरम सल्ल० ने मांओं की अवज्ञा को हराम क़रार दिया है और साथ ही यह भी इरशाद फ़रमाया है : "जन्नत मां के क़दमों तले है" एक हदीस में बाप को भी जन्नत का दरवाजा क़रार दिया गया है (इब्ने माजा) अर्थात मां बाप को नाराज़ करने या उनकी अवज्ञा करने में जन्नत से महरूम होने का ख़तरा है। दूसरी तरफ़ जवानी में पहली बार एक लड़की से संबंध और मुहब्बत का अनुभव और मां बाप और बहन भाइयों को पति की ख़ातिर छोड़कर आने वाली पत्नी का अजनबी घर में नया नया आगमन की धारणा और फिर सास बहू के इस विवाद में सास के साथ देवर और भावजों के मुक़ाबले में बहू के अकेले होने का एहसास क़ुदरती तौर पर पति के दिल में पत्नी की हिमायत की भावना पैदा कर देती है इस हालत में मर्द अपने मां बाप की न सुने तो मुश्किल और पत्नी की न सुने तो मुश्किल। सामाजिक जीवन की यह कठिन घाटी है जिस से हर इंसान को गुज़रना पड़ता है।

कभी कभी यह विवाद इस हद तक बढ़ जाता है कि वही मां बाप जो बड़े शौक़ से बहू लाते हैं बड़ी सख़्ती के साथ बेटे से तलाक़ का मुतालबा शुरू कर देते हैं क्या ऐसी स्थिति में मर्द को तलाक़ दे देनी चाहिए या अनदेखी करना चाहिए?

इस सवाल के दो टूक जवाब का दारो मदार तो हर घर के हालात और घटनाओं पर है लेकिन एक बात वास्तव में निसंकोच कही जा सकती है कि शरीअत ख़ानदानी व्यवस्था को बचाने के लिए क़दम-क़दम पर जिस तरह मर्द को तलाक़ देने से रोकने की कोशिश करती है इसके तहत मात्र सास और बहू के रिवायती झगड़े की वजह से पत्नी को तलाक़ देना किसी तरह भी सही धारणा नहीं कही जा सकती। अपनी इस राए को व्यक्त करने के साथ ही हम ख़ानदान की इस महत्वपूर्ण त्रिकोण अर्थात सास, बहू और बेटा को शरअी आदेश और मनोवैज्ञानिक तथ्यों के हवाले से कुछ हिदायतें देना चाहते हैं जिन पर अमल करने से सास और बहू के झगड़े को अगर ख़त्म नहीं किया जा सकता तो कम ज़रूर किया जा सकता है।

1. मर्द को यह हक़ीक़त कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जिस मां ने उसे जन्म दिया, उसे पाला पोसा उसे शिक्षा दीक्षा दी उसे अपनी मुहब्बत के साए में बचपन से लड़कपन, लड़कपन से नौजवानी और नौजवानी से जवानी तक पहुंचाया उसकी शादी के सुहाने सपने देखे उसे अपनी उम्मीद का केन्द्र बनाया वह मां मनोवैज्ञानिक रूप से कभी यह सहन नहीं कर सकती कि उसके बेटे की मुहब्बत दो हिस्सों में बंट जाए। बेटे की शादी के बाद भी मां उसी तरह उसकी मुहब्बत और ध्यान का केन्द्र बने रहना चाहती है जैसे पहले थी, यह इच्छा चाहे कितनी ही वास्तविकता के विरुद्ध क्यों न हो बेटे को मां की इस इच्छा का भरपूर सम्मान करना चाहिए और यथा संभव मां को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि उसके बेटे की मुहब्बत वास्तव में मां और पत्नी में बंट चुकी है शरअी दृष्टि से सास और बहू के झगड़े में अगर बहू सौ फ़ीसद सच्ची भी हो तब भी बेटे को मां की डांट डपट के सामने शान्त रहना चाहिए। मां के सम्मान में अपनी निगाहें नीची रखनी चाहिएं और मां के सख़्त शब्दों के जवाब में ''उफ़'' तक नहीं कहना चाहिए। यह

तरीक़ा बड़े सब्र का और मुश्किल ज़रूर है लेकिन अनुभव बताता है कि इस तरीक़े के नतीज़े में अल्लाह तआला न केवल मुश्किलात को आसानियों में और परेशानियों को सुख शान्ति में बदल देते हैं बल्कि दुनिया में ही बहुत अधिक इनामों से नवाज़ते हैं।

2. यह सही है कि बहू अपने मां बाप और रिश्तेदारों को छोड़कर केवल पति की ख़ातिर नए घर में आती है लेकिन उसे यह बात नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति ने एक महानतम उद्देश्य के लिए उससे यह क़ुर्बानी ली है और वह महान उद्देश्य है नए ख़ानदान की बुनियाद रखना और एक नया घर बसाना, इस महानतम उद्देश्य के लिए उसे बहुत सी दूसरी क़ुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं तो जिस तरह वह अपने पति के पालन, सेवा और सम्मान को अपने ऊपर आवश्यक समझती है उसी तरह से पति के मां बाप की सेवा, आज्ञा पालन और सम्मान को भी अपने ऊपर अनिवार्य समझना चाहिए। घर के तमाम बड़े लोगों के साथ इज़्ज़त और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए और छोटों के साथ मुहब्बत और स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। रसूले अकरम सल्ल० का इरशादे मुबारक है :

﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا ﴾

अर्थात वह व्यक्ति हममें से नहीं जो छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता। (तिर्मिज़ी) सुसराल के दुख सुख में अपने आप को शरीक करना चाहिए नरम गरम हालत में उस घर का साथ देना चाहिए अगले ज़मानों के लोग अपनी बेटियों को विदा करते समय नसीहत किया करते थे। "बेटी! जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है उस घर से तुम्हारा जनाज़ा उठना चाहिए।" इस नसीहत का मतलब यही है कि निकाह के बाद औरत जिस घर में जाए उसे चाहिए कि अपने ग़म ख़ुशी दुख़-सुख और जीना मरना उसी घर से जोड़ ले। यह नसीहत निश्चय ही बड़ी क़ीमती है। औरत के अन्दर हर तरह के हालात का मुक़ाबला करने की हिम्मत और हौसला पैदा करती है नए घर में आने वाली औरतों को यह हक़ीक़त नहीं भूलना चाहिए कि विनय, विनम्रता, भलाई निष्ठा, त्याग और वफ़ादारी जैसे

गुण हमेशा नेक नामी, सम्मान और भलाई का कारण बनते हैं।

3. शादी के बाद मर्द का पत्नी की तरफ़ झुकना, उससे मुहब्बत करना, उसके साथ घरबार के मामलात पर बातचीत करना, भविष्य के लिए सोच-विचार करना एक क़ुदरती बात है जो मांए घर में आने वाली इस तब्दीली को ज़िन्दा हक़ीक़त समझकर क़बूल कर लेती हैं वह बड़ी हद तक इस विवाद की यातना से महफ़ूज़ रहती हैं लेकिन जिन घरों में पति पत्नी के घर वालों के सामने बोलना या घर के लोगों से अलग एक जगह बैठना तक बुराई समझा जाता हो उन घरों में बहुत जल्दी घुटन और तनाव का माहौल पैदा जाता है जो धीरे धीरे आपसी नफ़रत पैदा कर देता है उसके बाद मां बाप की तरफ़ से डांट डपट और तानों का सिलसिला शुरू हो जाता है जो बढ़ते-बढ़ते एक कष्टदायक विवाद की शक्ल ले लेता है अगर उसका समय रहते इलाज न किया जाए तो फिर मामला तलाक़ तक पहुंच जाता है ऐसे घरों में माओं को यह सोचना चाहिए कि अगर उनकी अपनी बेटी को ऐसी ही मामूली बातों की वजह से तलाक़ हो जाए तो उनके दिल पर क्या क़यामत गुज़रेगी? यह कदापि न भूलें कि दुनिया तो है ही काम करने का नाम........इस हाथ दे उस हाथ ले.........का क़ानून हर जगह मौजूद है। यह हो ही नहीं सकता कि आज का बोया कल काटना पड़े। शरअन माओं को यह बात याद रखनी चाहिए कि उन के मुतालबे पर बहू को दी गई तलाक़ का सारा वबाल क़यामत के रोज़ उन्हीं के सर होगा दुनिया में उनके अपने ही बेटे का घर बर्बाद होगा जिसके बाद मसाइल और मुश्किलात का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो न केवल बेटे के लिए बल्कि स्वयं मां बाप के लिए भी परेशानियों का कारण बनेगा वैसे भलाई और बचाव का रास्ता यही है कि बहू के हक़ों को मान लिया जाए उसकी कोताहियों को अनदेखा किया जाता है बहू की विशेषताओं का एतेराफ़ किया जाता है सास बहू विवाद के सारे पात्र भी यदि ख़्याल रखें तो कोई वजह नहीं कि इस रिवायती विवाद की कड़वाहट और सख़्ती में कमी न आए।

तलाक़ का मसनून तरीक़ा

निकाह और तलाक़ के मसाइल जिन्हें क़ुरआन मजीद में "हुदूदुल्लाह" (अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं) कहा गया है बहुत से लोग उनसे अनजान हैं और उस समय तक उन्हें जानने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करते जब तक उन्हें जानने की मजबूरी न बन जाए, तलाक़ की नौबत तो हमेशा लड़ाई झगड़ों के बाद ही पेश आती है जो दिन रात का चैन और सुकून ख़त्म कर देते हैं लेकिन तलाक़ के मसाइल से अनभिज्ञता उन परेशानियों में और अधिक वृद्धि का कारण बनती है, हम यहां तलाक़ का मसनून तरीक़ा आसान और सामान्य अन्दाज़ में स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तरीक़ा तलाक़ से पहले तलाक़ के कुछ अहम मसाइल देख लीजिए।

तलाक़ के कुछ अहम मसाइल

1. दौराने हैज़ तलाक़ देना मना है अगर पत्नी से दौराने हैज़ झगड़ा हुआ हो और मर्द तलाक़ देना चाहे तब भी मर्द को हैज़ ख़त्म होने तक इंतिज़ार करना चाहिए।
2. जिस पाकी में तलाक़ देनी हो उस पाकी में संभोग करना मना है याद रहे हैज़ के दिनों के अलावा बाक़ी दिनों में जिन में औरत नमाज़ अदा करती है उन दिनों को "पाकी के दिन" कहा जाता है।
3. एक समय में केवल एक ही तलाक़ देनी चाहिए एक साथ तीन तलाक़ें देना बहुत बड़ा गुनाह है। पत्नी को अलग करने के लिए तलाकों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तीन है लेकिन एक तलाक़ से अलग करना ही शरीअत का निर्धारित किया गया तरीक़ा है दूसरी और तीसरी तलाक़ की ज़रूरत कब और क्यों पड़ती है उसका उल्लेख अगले पन्नों में आएगा।
4. पहली तलाक़ हो या दूसरी या तीसरी हर तलाक़ के बाद औरत को तीन हैज़ या तीन पाकी (जो कम व ज़्यादा तीन माह की मुद्दत बनती है इसलिए सामान्यता इस मुद्दत को तीन माह ही लिख दिया जाता है)

इंतिज़ार करने का हुक्म है शुरू में इस मुद्दत को "इद्दत" कहते हैं।

6. पहली और दूसरी तलाक़ के बाद दौराने इद्दत (तीन हैज़) पत्नी से सुलह करने को शरीअत में पलट जाना कहते हैं और ऐसी तलाक़ को तलाक़ रजअी कहते हैं, याद रहे पलटने के लिए पत्नी से संभोग करना शर्त नहीं ज़बानी बातचीत भी काफ़ी है।
7. पहली और दूसरी तलाक़ के बाद तीन माह "इद्दत" गुज़ारने का उद्देश्य यह है कि अगर पति इस मुद्दत में तलाक़ का फ़ैसला बदलना चाहे तो उन तीन महीनों में किसी भी समय रुजूअ (अर्थात सुलह) कर सकता है इसी लिए पहली दो तलाक़ों को रजअी तलाक़ कहा जाता है। तीसरी तलाक़ के बाद पति को रुजूअ का हक़ नहीं रहता बल्कि तलाक़ देते ही अलेहदगी हो जाती है अतः तीसरी तलाक़ को तलाक़ बाइन (अलग करने वाली) कहा जाता है। तीसरी तलाक़ के बाद इद्दत का उद्देश्य पूर्व पति से संबंधों के सम्मान में तीन माह तक दूसरे निकाह से रुके रहना।
8. पहली दो तलाक़ों के बाद दौराने इद्दत रुजूअ करने के लिए औरत की रज़ामन्दी ज़रूरी नहीं औरत चाहे या न चाहे मर्द रुजूअ कर सकता है।
9. रजअी तलाक़ की इद्दत के दौरान पत्नी को पहले की तरह अपने साथ घर में ही रखना चाहिए और उसका भरण पोषण भी अदा करते रहना चाहिए।
10. लगातार तीन तलाक़ें अर्थात हर माह एक तलाक़ देना ग़ैर मसनून है।

अब हम तलाक़ की विभिन्न वैध सूरतों के संबंध में स्पष्टीकरण दे रहे हैं :

पहली सूरत :	एक तलाक़ से अलेहदगी।
दूसरी सूरत :	दो तलाक़ से अलेहदगी।
तीसरी सूरत :	तीन तलाक़ से अलेहदगी।

(अ) एक तलाक़ से अलेहदगी

एक तलाक़ से अलेहदगी की सूरत यह है कि पति पत्नी के बीच निकाह

के बाद पहली बार मतभेद इस हद तक बढ़ जाएं कि नौबत तलाक़ तक पहुंच जाए और पति पत्नी को हैज़ आने के बाद पाकी की हालत में संभोग किए बिना पहली तलाक़ दे दे और दौराने इद्दत (अर्थात तीन माह) रुजूअ न करे तो इद्दत ख़त्म होते ही पति पत्नी में मुस्तक़िल अलेहदगी हो जाएगी। इस सूरत में दूसरी और तीसरी तलाक़ की ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती। दौराने इद्दत पत्नी को अपने साथ घर में रखना और उसका भरण पोषण पहले की तरह देना ज़रूरी है। एक तलाक़ से दोनों में अलेहदगी का लाभ यह है कि यह मर्द और औरत आगे कभी दोबारा निकाह करना चाहें तो निःसंकोच कर सकते हैं।

एक तलाक़ से अलेहदगी का और अधिक स्पष्टीकरण इस नक़्शे से किया जा सकता है

हैज़ के बाद	पाकी में पहली तलाक़–हैज	पाकी–हैज़	पाकी–हैज़	हैज़ ख़त्म होते ही अलेहदगी हो जाएगी
	पहला माह	दूसरा माह	तीसरा माह	
	(रुजूअ नहीं किया)	(रुजूअ नहीं किया)	(रुजूअ नहीं किया)	

याद रहे की तीसरा हैज़ ख़त्म होने के बाद औरत दूसरा निकाह करना चाहे तो कर सकती है चाहे पूर्व पति से या किसी दूसरे मर्द से।

(ब) दो तलाक़ों से अलेहदगी

पहली तलाक़– दो तलाक़ों से अलेहदगी की सूरत यह कि निकाह के बाद पति पत्नी में मतभेद इस हद तक बढ़ जाएं कि तलाक़ की नौबत आ जाए और पति क़ायदे के मुताबिक़ पत्नी को हैज़ ख़त्म होने के बाद पाकी की हालत में संभोग किए बिना पहली तलाक़ दे दे, और दौराने इद्दत (अर्थात तीन माह) किसी भी समय रुजूअ कर ले। याद रहे तलाक़ से रुजूअ करने का मतलब यह कदापि नहीं कि आगे वह तलाक़ नहीं मानी जाएगी बल्कि आगे ज़िन्दगी में यह मर्द जब कभी तलाक़ देगा तो वह दूसरी तलाक़ शुमार होगी, न कि पहली।

दूसरी तलाक़– पहली से रुजूअ के बाद दोबारा किसी समय (जैसे

कुछ दिन, कुछ हफ़्ते, कुछ माह या कुछ साल बाद) दोनों में मतभेद पैदा हो जाएं और नौबत तलाक़ तक पहुंच जाए और पति पत्नी को क़ायदे के मुताबिक़ हैज़ ख़त्म होने के बाद पाकी की हालत में संभोग किए बिना दूसरी तलाक़ दे दे उस दूसरी तलाक़ के बाद भी शरीअत ने मर्द को दौराने इद्दत (अर्थात तीन माह) में रुजूअ का हक़ दिया है इसलिए उस दूसरी तलाक़ को भी रजअी तलाक़ ही कहा जाता है पति दौराने इद्दत (तीन माह) में रुजूअ न करे तो तीन पाकी या तीन हैज़ के बाद दोनों पति पत्नी में स्थाई अलेहदगी हो जाएगी यह अलेहदगी भी चूंकि दूसरी रजअी तलाक़ के बाद हुई है अतः इस तलाक़ के बाद भी ये मर्द औरत आगे कभी दोबारा निकाह करना चाहें तो बिना संकोच कर सकते हैं। दो तलाक़ों से अलेहदगी का और अधिक स्पष्टीकरण इस नक्शे से हो जाएगा।

हैज़ के बाद | पाकी में पहली तलाक़–हैज़ | पाकी–हैज़ | पाकी–हैज़–रुजूअ | अलेहदगी नहीं हुई।
पहला माह (रुजूअ नहीं किया) दूसरा माह (रुजूअ नहीं किया) तीसरा माह (रुजूअ नहीं किया)

हैज़ के बाद | पाकी की हालत में दूसरी तलाक़–हैज़ | पाकी–हैज़ | पाकी–हैज़ | हैज़ ख़त्म होते ही अलेहदगी हो जाएगी
पहला माह (रुजूअ नहीं किया) दूसरा माह (रुजूअ नहीं किया) तीसरा माह (रुजूअ नहीं किया)

दूसरी रजअी तलाक़ की इद्दत (तीन माह) गुज़रने के बाद औरत दूसरा निकाह करना चाहे तो कर सकती है चाहे पूर्व पति से या किसी दूसरे मर्द से।

(द) तीन तलाक़ों से अलेहदगी की जाइज़ सूरत

पहली तलाक़ पति पत्नी के बीच निकाह के बाद पहली बार (जैसे 1950 ई० में) मतभेद इस हद तक बढ़ जाएं कि तलाक़ की नौबत आ जाए और पति क़ायदे के मुताबिक़ पत्नी को हैज़ ख़त्म होने के बाद पाकी की हालत में संभोग किए बिना पहली रजअी तलाक़ दे दे और दौराने इद्दत (तीन पाकी या तीन हैज़) किसी भी समय रुजूअ करले और पति पत्नी मामूल की ज़िन्दगी बसर करने लगें, पहली रजअी तलाक़ से रुजूअ के बाद कुछ मुद्दत

(जैसे कुछ दिन. कुछ हफ़्ते, कुछ माह या कुछ साल के बाद जैसे 1953 ई० में) दोनों में फिर मतभेद पैदा हो जाएं और नौबत तलाक़ तक पहुंच जाए पति क़ायदे के मुताबिक़ पत्नी को हैज़ ख़त्म होने के बाद पाकी की हालत में दूसरी रजअी तलाक़ दे दे और दौराने मुद्दत (तीन पाकी या तीन हैज़) में पति किसी भी समय रुजूअ करले और पति पत्नी मामूल की ज़िन्दगी बसर करना शुरू कर दें लेकिन फिर कुछ मुद्दत (जैसे कुछ हफ़्ते, या कुछ माह या कुछ साल बाद जैसे 1960 ई० में) दोनों में तीसरी बार मतभेद पैदा हो जाएं और नौबत तलाक़ तक पहुंच जाए पति क़ायदे के मुताबिक़ हैज़ ख़त्म होने के बाद पाकी की हालत में संभोग किए बिना तीसरी तलाक दे दे तो तीसरी तलाक़ देते ही पति पत्नी में मुस्तक़िल अलेहदगी हो जाएगी। याद रहे कि जिस तरह मर्द को पहली और दूसरी तलाक़ के बाद दौराने इद्दत रुजूअ करने का हक़ है उसी तरह तीसरी तलाक़ के बाद यह अख़्तियार नहीं इसी लिए पहली दो तलाक़ को रजअी तलाक़ और तीसरी तलाक़ को बाइन (मुस्तक़िल अलग करने वाली) कहा जाता है। तीसरी तलाक़ के बाद भी औरत को इद्दत (तीन पाकी या तीन हैज़) गुज़ारने का हुक्म है इद्दत के बाद ही औरत किसी दूसरी जगह निकाह कर सकती है यह बात उल्लेखनीय है कि तीसरी तलाक़ (बाइन) के बाद अलेहदगी होने वाले पति पत्नी आइन्दा ज़िन्दगी में दोबारा निकाह करना चाहें तो नहीं कर सकते या यह कि औरत अपनी आज़ाद मर्ज़ी से किसी दूसरे मर्द के साथ ज़िन्दगी भर का साथ निभाने की नीयत से निकाह करे दोनों जिन्सी संबंध पैदा करें और फिर किसी समय वह मर्द (अर्थात दूसरा पति) मर जाए या पहले पति की तरह अपनी आज़ाद मर्ज़ी से तलाक़ दे दे तो इद्दत गुज़ारने के बाद यह तलाक़शुदा ख़ातून अगर अपने पहले पति से निकाह करना चाहे तो कर सकती है। (विस्तार के देखें सूरह बक़रा, आयत 230)

तीन तलाक़ों से अलेहदगी का और विवरण निम्न नक़्शे से किया जा सकता है :

हैज़ के बाद 1950 ई०	पाकी में पहली तलाक़–हैज़ पहला महीना (रुजूअ नहीं किया)	पाकी–हैज़ दूसरा महीना (रुजूअ नहीं किया)	पाकी–हैज़–रुजूअ तीसरा महीना (रुजूअ कर लिया)	अलहदगी नहीं हुई
हैज़ के बाद 1953 ई०	पाकी में दूसरी तलाक़–हैज़ पहला महीना (रुजूअ नहीं किया)	पाकी–हैज़ दूसरा महीना (रुजूअ नहीं किया)	पाकी–हैज़–रुजूअ तीसरा महीना (रुजूअ नहीं किया)	अलहदगी नहीं हुई
हैज़ के बाद 1960 ई०	पाकी में तीसरी तलाक़	तुरन्त अलेहदगी हो जाएगी लेकिन औरत उसके बाद तीन माह इद्दत गुज़ारेगी		

ख़ुलअ

जिस तरह शरीअत ने मर्द को प्रतिकूल हालात में तलाक़ का हक़ दिया उसी तरह औरत को प्रतिकूल हालात में मर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए ख़ुलअ का हक़ दिया है ख़ुलअ देने के लिए शरीअत ने पति को पत्नी से कुछ रक़म लेने की इजाज़त भी दी है जो कि कम व ज़्यादा औरत के हक़ मेहर के बराबर होना चाहिए। हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ि० की पत्नी नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल०! मैं साबित बिन क़ैस की दीनदारी और आचरण में दोष नहीं निकालती लेकिन मुझे नाशुक्री के गुनाह का शिकार होना पसन्द नहीं अतः मुझे ख़ुलअ दिला दीजिए।" रसूलुल्लाह सल्ल० ने उससे मालूम किया : "क्या तुम साबित का हक़ मेहर में दिया हुआ बाग़ वापस करने को तैयार हो?" औरत ने अर्ज़ किया "हां या रसूलुल्लाह सल्ल०!" अतएव नबी अकरम सल्ल० ने हज़रत साबित बिन क़ैस को हुक्म दिया : कि अपना बाग़ वापस ले लो और उसे आज़ाद कर दो।" (बुख़ारी) इस हदीस से यह बात भी मालूम होती कि अगर पति पत्नी की आपसी रज़ामन्दी से ख़ुलअ का मामला तैय न कर सकें तो औरत शरअी अदालत की तरफ़ रुजूअ कर सकती है और अदालत को शरअन इस बात का पूरा हक़ हासिल है कि वह औरत को मर्द से ख़ुलअ दिलाकर आज़ाद करा दे। यह बात याद रहे कि शरअी मामलों में अगर जज या फिर अदालत मौजूद न हो तो उलमा की जमाअत या आम मुत्तक़ी और परहेज़गार मुसलमानों की पंचायत फ़ैसला कर

दे तो वह लागू करने योग्य होगा लेकिन भविष्य में किसी फ़ितने से महफ़ूज़ रहने के लिए ग़ैर मुस्लिम अदालत से डिग्री हासिल करने में कोई हरज नहीं।

ख़ुलअ की इद्दत एक महीना है उसके बाद औरत जहां चाहे दूसरा निकाह कर सकती है।

एक साथ तीन तलाक़ें

निकाह वाले यथा संभव एक दूसरे के साथ साथ निभाने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी में आपसी मतभेद तो रोज़ाना की बात है जिसे समझदार पति पत्नी यथा संभव सहन करने की कोशिश करते हैं लेकिन जब मामला मतभेदों से बढ़कर नफ़रत, दुश्मनी और बदला लेने तक पहुंच जाए तो फिर नौबत तलाक़ तक पहुंच जाती है तलाक़ के मामले में सोच-विचार, संजीदगी और सहनशीलता से काम लेने वाले मर्द कम ही होते हैं और शरअी आदेशों की जानकारी रखने वाले तो और भी कम होते हैं अधिकांश लोग लड़ाई झगड़े और ग़ुस्से के दौरान ही तलाक़ दे डालते हैं और शरअी आदेश से अनभिज्ञ होने के कारण एक ही समय में तीन (या उससे भी अधिक) बार तलाक़ का शब्द कह डालते हैं जो न कि केवल शरीअत के ख़िलाफ़ है बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है।

रसूले अकरम सल्ल० की पवित्र जीवनी में एक आदमी ने अपनी पत्नी को एक साथ तीन तलाक़ें दीं आपको पता लगा तो आप सल्ल० ग़ुस्से के मारे उठ खड़े हुए और फ़रमाया : "मेरी मौजूदगी में अल्लाह की किताब से यह मज़ाक़" एक व्यक्ति ने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल०! क्या मैं उसे क़त्ल कर दूं?" (नसाई) तीन तलाक़ें देना कितना बड़ा गुनाह है उसकी वजह यह है कि शरीअत ख़ानदान को तबाही से बचाने के लिए जिस ज़रूरत और हिकमत को अमल में लाना चाहती है एक साथ तीन तलाक़ें देने वाला व्यक्ति न केवल उन ज़रूरतों को पामाल कर डालता है बल्कि रसूलुल्लाह सल्ल० की खुली अवज्ञा का करने वाला माना जाता है लेकिन रसूलुल्लाह सल्ल० ने तीन तलाक़ें देने वाले व्यक्ति पर सख़्त नाराज़गी के बावजूद तीन तलाक़ों को तीन नहीं माना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से

रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० के ज़माने में उसके बाद हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि० की ख़िलाफ़त में हज़रत उमर रज़ि० की ख़िलाफ़त में दो बरस तक एक बार में तीन तलाक़ें देने वाले लागू कर देना मुनासिब है अतएव उन्होंने लागू कर दीं। (मुस्लिम, किताबुत्तलाक़ 3)

रसूले अकरम सल्ल० की सुन्नत और दोनों ख़लीफ़ों के अमल से ये तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं (अ) एक साथ तीन तलाक़ें देना शरीअत इस्लामियां में बहुत बड़ा गुनाह है, (ब) एक बार में तीन तलाक़ें देने वाले को गुनाहगार ठहराने के बावजूद शरीअत इस्लामियां उसे तलाक़ के बाक़ी दो अवसरों से महरूम नहीं करती और तीन तलाक़ों को एक ही तलाक़ मानती है, (स) हज़रत उमर रज़ि० ने लोगों को एक बार में तीन तलाक़ें देने से रोकने के लिए सज़ा के तौर पर तीन को तीन ही लागू कर दिया लेकिन यह हज़रत उमर रज़ि० का इज्तिहाद था शरीअत इस्लामिया का मुस्तक़िल क़ानून नहीं था।

क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने तलाक़ के आदेश बयान करते हुए यह बात इरशाद फ़रमाई है : फतल्लिक़ू हुन्ना लिइद्दतिहिन्ना (1 : 68) अर्थात औरतों को उनकी इद्दत के लिए तलाक़ दिया करो जिसका मतलब यह है कि एक तलाक़ देने के बाद जो इद्दत (अर्थात तीन माह) निर्धारित की गई है वह पूरी करो और फिर दूसरी तलाक़ दो। इसी तरह दूसरी तलाक़ की इद्दत पूरी करने के बाद तीसरी तलाक़ दो जो व्यक्ति एक साथ तीन तलाक़ें देता है उसने मानो दूसरी और तीसरी तलाक़ की इद्दत पूरी किए बिना तलाक़ दे दी जबकि पहली तलाक़ के बाद रुजूअ या तीन महीने का इन्तिज़ार करना ज़रूरी था अतः एक साथ तीन तलाक़ें देने की सूरत में पहली तलाक़ हो जाती है दूसरी और तीसरी तलाक़ निर्धारित समय से पहले देने की वजह से लागू नहीं होती उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसा कि नमाज़ के बारे में हुक्म है : इन्नस्सला-त कानत अललमोमिनी-न किताबन मवक़ूतन "बेशक नमाज़ निर्धारित समय पर अदा करना ईमान वालों पर फ़र्ज़ की गई है।" (सूरह निसा, आयत : 103) जिसका मतलब यह है कि फ़ज्र की नमाज़ फ़ज्र के समय, ज़ोहर की नमाज़ ज़ोहर के समय, अस्र की

अस्र के समय, मग़रिब की मग़रिब के समय और इशा की इशा के समय पढ़नी फ़र्ज़ है। अगर कोई व्यक्ति फ़ज्र के समय पांचों नमाज़ें इकट्ठी अदा करले तो क्या उसकी नमाज़ें वास्तव में अदा हो जाएंगी? फ़ज्र की नमाज़ तो वास्तव में अदा हो जाएगी क्योंकि उसका समय था लेकिन ज़ोहर की नमाज़ जब तक ज़ोहर के समय, अस्र की अस्र के समय, मग़रिब की मग़रिब के समय और इशा की इशा के समय अदा नहीं की जाएंगी अदा नहीं होंगी अतः फ़ज्र के समय इकट्ठी नमाज़ें पढ़ने के बावजूद अपने अपने निर्धारित समयों पर सारी नमाज़ें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी इसी तरह जो व्यक्ति एक समय में तीन तलाक़ें इकट्ठी देता है उसकी पहली तलाक़ तो हो जाती है लेकिन दूसरी या तीसरी तलाक़ के लिए जब तक शरीअत का निर्धारित नियम पूरा नहीं किया जाता उस समय तक वह अमल योग्य नहीं होंगी।

यह बात याद रहे कि सात इस्लामी देश जिनमें मिस्र, सूडान, उर्दुन, मराकश, इराक़, शाम और पाकिस्तान शामिल हैं एक मजलिस की तीन तलाक़ों को एक ही तलाक़ मानने का क़ानून लागू है।

कुछ विद्वानों के निकट एक समय में दी गई तलाक़ें तीन ही शुमार होती हैं लेकिन हमें निम्न कारणों के आधार पर यह बात मानने में संकोच है।

1. रसूले अकरम सल्ल० ने अपनी पवित्र जीवनी में तीन तलाक़ों को एक ही तलाक़ बताया। सुन्नते रसूल सल्ल० के मुकाबले में हज़रत उमर रज़ि० का इज्तिहाद दलील नहीं बन सकता।

अल्लाह का इर्शाद है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

"ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो।" (सूरह हुजरात, आयत : 1)

2. इमाम मुस्लिम की रिवायत की गई हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० के कथन के मुताबिक़ अहदे सिद्दीक़ी रज़ि० और अहदे फ़ारूक़ी रज़ि० के प्रारंभ में दो साल का अर्सा इस मसले पर सहाबा किराम

रज़ि० के इज्माअ की हैसियत रखता है।

3. हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० के इज्तिहाद के बाद एक समय में दी गई तीन तलाक़ों को तीन शुमार करने पर कभी भी उम्मत की सहमति नहीं रही। सहावा किराम रज़ि० ताबअीन और इमामों में भी इस मसले पर मतभेद रहा है और उपरोक्त सात इस्लामी देशों में एक बार तीन तलाक़ों को एक शुमार करने का क़ानून तो उसकी बड़ी स्पष्ट दलील है।

4. कुछ विद्वान इमाम मुस्लिम की रिवायत की गई हदीस की यह तावील पेश करते हैं "प्रारंभिक दौर में लोगों में ईमानदारी क़रीब क़रीब नहीं थी इसलिए तीन तलाक़ें देने वाले के इस बयान को तस्लीम कर लिया जाता कि उसकी नीयत एक ही तलाक़ की थी और बाक़ी दो मात्र ताकीद के तौर पर थीं लेकिन हज़रत उमर रज़ि० ने महसूस किया कि अब लोग जल्दी में तलाक़ देकर बहाना करते हैं तो आपने बहाना क़बूल करने से इंकार कर दिया।" यह तावील हमारे निकट बड़े ख़तरनाक विचार वाली है पिछले ज़माने के लोगों के बारे में मात्र एक फ़िक़्ही मसले की ख़ातिर यह तस्लीम कर लेना कि उनमें अहदे फ़ारूक़ी के प्रारंभ में ही सहाबा किराम रज़ि० के अन्दर से सच्चाई और ईमानदारी ख़त्म हो गई थी या होने लगी थी बहुत से दूसरे फ़ित्नों का दरवाज़ा खोल देगी हमारे नज़दीक सहाबा किराम रज़ि० पर बेइमानी के आरोप का बोझ उठाने से कहीं ज़्यादा आसान यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० की हदीस को ठीक वैसे ही तस्लीम कर लिया जाए।

5. इस हदीस शरीफ़ में हज़रत उमर रज़ि० ने एक बार में तीन तलाक़ों को तीन लागू करने का जवाज़ लोगों की जल्दबाज़ी में बताया है न कि लोगों की ग़लत अर्थात, हज़रत उमर रज़ि० के पेश किए गए जवाज़ को छोड़कर अपनी तरफ़ से एक जवाज़ गढ़ कर उसे हज़रत उमर रज़ि० की तरफ़ मन्सूब कर देना अपने आप में ईमानदारी के विरुद्ध है।

6. तीन तलाक़ों को तीन तलाक़ें तस्लीम करने के बाद उसके जो ख़राब नतीजे निकलते हैं वह स्वयं इस बात का स्पष्ट सबूत हैं कि एक समय में दी गई तीन तलाक़ों का लागू करना एक सज़ा देने वाला इक़दाम तो हो

सकता है मुस्तक़िल क़ानून नहीं हो सकता। पहले तो तलाक़ देने वाला उस मोहलत से मुकम्मल तौर पर महरूम हो जाता है जो शरीअत उसे सोच-विचार के लिए देना चाहती है। दूसरे तलाक़ के बाद दोनों पछताते हैं तो दोबारा निकाह की सूरत पैदा करने के लिए बे गुनाह औरत को जिस तरह हलाले के अमल से गुज़ारने के लिए तैयार किया जाता है वह दीने इस्लाम के उसूल से पूरी तरह समानता नहीं रखता।

इन दलीलों की बिना पर हम यह समझते हैं कि नक़्ली और अक़्ली हर दो एतेबार से एक बार में तीन तलाक़ों को एक तलाक़ शुमार करना ही शरीअत का सहीह हुक्म है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब

यहां यह बात कदापि नहीं भूलनी चाहिए कि उस बहस को छोड़कर एक समय में दी गई तीन तलाक़ें तीन होती हैं या एक, एक समय में तीन तलाक़ें देना बहुत बड़ा गुनाह है, इसमें न केवल सुन्नते रसूल सल्ल० का विरोध है बल्कि उन तमाम ज़रूरतों की पामाली भी है जो शरीअत ने अलग-अलग तीन तलाक़ों में रखी है इसलिए हज़रत उमर एक समय में तीन तलाक़ें देने वाले की तीन तलाक़ें सज़ा के तौर पर न केवल लागू करते बल्कि उसके अपराधी को शारीरिक सज़ा भी देते अतः असल मसला एक समय में तीन तलाक़ें देने के गुनाह को स्पष्ट करना और घिनौने अपराध को रोकने और ख़त्म करने की कोशिश करना है जिसके लिए उलमा और फ़ुक़हा को चाहिए कि वह इस्लाम के अन्य आदेश (जैसे ज़िहार आदि) को सामने रखते हुए तीन तलाक़ें देने वाले के लिए कोई मुनासिब सज़ा प्रस्तावित करें जिससे उस सुन्नत के ख़िलाफ़ और ख़तरनाक तरीक़ा तलाक़ का बाधक हो सकते हैं।

हलाला

क़ुरआन मजीद की सूरह बक़रा, आयत : 230 का सारांश यह है कि अगर एक आदमी अपनी पत्नी को अलग अलग समयों में तीन तलाक़ें दे चुका हो तो वह दोबारा उस औरत से निकाह नहीं कर सकता या यह कि वह औरत अपनी आज़ाद मर्ज़ी से किसी दूसरे मर्द के साथ ज़िन्दगी भर साथ निभाने की नीयत से निकाह करे दोनों एक दूसरे से आनन्द उठाएं और यह

मर्द (अर्थात दूसरा पति) औरत को अपनी आज़ाद मर्ज़ी से तलाक़ दे दे (या मर जाए) तो यह औरत इद्दत गुज़ारने के बाद पहले पति के साथ निकाह करना चाहे तो कर सकती है। इस आयत की रौशनी में कुछ उलमा ने तीन तलाक़ों वाली तलाक़शुदा का अपने पूर्व पति से निकाह करवाने के लिए यह हीला ईजाद किया है कि इस तलाक़शुदा का किसी मर्द से अस्थाई निकाह करवा के एक या दो दिन के बाद तलाक़ दिला दी जाए ताकि वह औरत अपने पूर्व पति के लिए हलाल हो जाए।

औरत को अपने पूर्व पति के लिए हलाल कराने के कार्य को "हलाला" कहा जाता है इस कार्य के करने वाले को "मुहल्लिल" कहा जाता है अर्थात हलाला निकालने वाला और जिस व्यक्ति के लिए हलाला निकाला जाता है उसे "मुहल्लिल्लाह" कहा जाता है।

क़ुरआन मजीद के हुक्म और हलाला का फ़र्क़ इस चार्ट से आसानी से लगाया जा सकता है।

नं०	शरअी आदेश	निकाह मसनून	निकाह हलाला
1.	नीयत	ज़िन्दगी भर साथ निभाने की नीयत	एक या दो रातों के बाद तलाक़ की नीयत
2.	उद्देश्य	औलाद की प्राप्ती	दूसरे मर्द के लिए औरत को हलाल करना
3.	औरत की इजाज़त व मर्ज़ी	ज़रूरी है	इजाज़त ली जाती है न मर्ज़ी
4.	कफ़ू	दीन, हस्ब व नस्ब, माल व दौलत हुस्न व जमाल सब कुछ देखा जाता है	कोई चीज़ नहीं देखी जाती
5.	महर	अदा करना फ़र्ज़ है	न तैय किया जाता है न अदा किया जाता है
6.	ऐलान और प्रचार	ऐलान और प्रचार करना मसनून है	ख़ुफ़िया रखा जाता है
7.	वलीमा	ख़ुशी से दावत दी जाती है	वलीमा नहीं किया जाता

8.	रुख़सती	इज़्ज़त और वक़ार के साथ सुसराल रुख़सती होती है	औरत स्वयं चलकर मुहल्लिल के पास जाती है
9.	दहेज़	मां बाप यथा स्थिति उपलब्ध करते हैं	दहेज़ की कल्पना नहीं होती
10.	दुल्हा दुल्हन की भावनाएं	मुहब्बत और ख़ुशी से भरपूर	नफ़रत और नदामत से भरपूर
11.	रिश्तेदारों की मुबारक सलामत	तमाम रिश्तेदार मुबारक सलामत की दुआएं देते हैं	हर तरफ़ से लानत और मलामत की जाती है
12.	दुल्हन का बनाव सिंगार	सहेलियां ख़ुशी ख़ुशी करती हैं	दुल्हन बनने की कल्पना ही ख़त्म होती है
13.	सुहाग रात का आयोजन	सुसराल वाले ख़ुशी ख़ुशी करते हैं	सुसराल का वजूद ही नहीं होता है
14.	सुहाग रात दुल्हन के लिए हदिया	पति ख़ुशी ख़ुशी आयोजन करता है	मुहल्लिल फूटी कोड़ी भी ख़र्च नहीं करता
15.	भरण पोषण	पति के ज़िम्मे होता है	मुहल्लिल बदला वसूल करता है

मसनून निकाह और हलाले में अन्तर स्पष्ट है निकाह सुन्नत की पैरवी है जबकि हलाला ख़िलाफ़े सुन्नत है निकाह सरासर रहमत और राहत है जबकि हलाला सरासर लानत और मलामत है निकाह सरासर इज़्ज़त और असमत की ज़मानत है जबकि हलाला सरासर ज़िना और बदकारी का रास्ता है इसलिए रसूले अकरम सल्ल० ने हलाला निकालने वाले को किराए का सांड कहा है। (इब्ने माजा) एक दूसरी हदीसे मुबारक है, हलाला निकालने और निकलवाने वाला दोनों फटकारे हुए है।" (तिर्मिज़ी) हलाले की हुरमत वैसे तो रसूले अकरम सल्ल० के इरशादे मुबारक से बिल्कुल स्पष्ट नहीं है लेकिन जो लोग इसके लिए हीला बहाना करते हैं उनसे पूछा जा सकता है कि अगर हलाला जाइज़ है तो फिर शियों में प्रचलित मुताअ क्यों हराम है? दोनों सूरतों में कुछ बदला तै करके सीमित और निर्धारित समय के लिए निकाह किया जाता है उसके बाद दोनों में अलेहदगी तै शुदा अमर होती है दोनों सूरतों में व्यवहारिक फ़र्क़ ही क्या है? क्या शराब का नाम दूध रखने

से शराब हलाल हो जाती है?

हज़रत उमर रज़ि० ने अपने ज़माना ख़िलाफ़त में लोगों को एक बार में तीन तलाक़ें देने के जुर्म से रोकने के लिए न केवल एक बार में तीन तलाक़ों को तीन ही शुमार करने का क़ानून लागू फ़रमाया बल्कि इसके साथ हलाला निकालने और निकलवाने वाले के लिए संगसार की सज़ा का क़ानून भी लागू फ़रमा दिया। इन दोनों क़ानूनों का एक समय लागू होना लोगों की जल्दबाज़ी को रोकने का इलाज था, तीन तलाक़ें देने वाला एक तरफ़ तो अपनी जल्दबाज़ी की वजह से ज़िन्दगी भर नदामत के आंसू बहाता रहता और दूसरी तरफ़ हलाला जैसे घ्रणित कार्य की कल्पना भी उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी होती। एक बार में तीन तलाक़ के घिनौने जुर्म को ख़त्म करने के लिए इससे ज़्यादा सख़्त और कड़ी सज़ा संभव ही न थी।

हमें उन लोगों के साहस पर बड़ा अचरज होता जो हज़रत उमर रज़ि० के पहले क़ानून के हवाले से एक बार में तीन तलाक़ों को तीन शुमार करने का फ़तवा तो दे देते हैं लेकिन दूसरे क़ानून (अर्थात हलाला करने वाले को संगसार करने की सज़ा) छुपाते हैं बल्कि उल्टा इस हराम और घ्रणित काम की लोगों को राह दिखाते हैं।

हलाले का एक बहुत ही दुखद और निन्दित पहलू यह है कि तीन तलाक़ें देने का ज़ुर्म तो मर्द करता है लेकिन उसकी सज़ा औरत को भुगतनी पड़ती है। करे कोई और भरे कोई का अन्धा क़ानून इस्लाम के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। क़ुरआन मजीद का स्पष्ट इरशादे मुबारक है : ला तज़िरु वाज़िरतवं विज़रा उख़रा "अर्थात कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा।" (सूरह फ़ातिर, आयत : 18)

दूसरे मर्द के इस मूर्खतापूर्ण जुर्म की जो सज़ा औरत को भुगतनी पड़ती है वह सज़ा भी ऐसी है जिसे न तो कोई स्वाभिमानी मर्द सहन कर सकता है न कोई स्वाभिमानी औरत सहन कर सकती है।

क्या इस बेग़ैरती का हुक्म अल्लाह तआला ने दिया है जो सब से ज़्यादा ग़ैरतमन्द है या इसका हुक्म उसके रसूल सल्ल० ने दिया है जो

अल्लाह की स्रष्टि में से सबसे बढ़कर ग़ैरतमन्द हैं? क़ुल इन्नल्लाहा ला यामुरु बिलफ़हशाई अ तक़ूलूना अलल्लाहि माला ताअलमून (अनुवाद) कहो अल्लाह तआला बेहयाई का हुक्म कभी नहीं देता क्या तुम अल्लाह का नाम लेकर वह बातें कहते हों जिन के बारे में तुम्हें पता नहीं कि वह अल्लाह की तरफ़ से हैं। (सूरह, आराफ़ आयत : 28)

इस्लाम सन्तुलित राह का धर्म

सामाजिक जीवन में निकाह और तलाक़ बड़े महत्व वाले हैं अन्य धर्मों में दूसरे मामलों की तरह निकाह और तलाक़ के मामले में भी गड़बड़ी पाई जाती है ईसाइयत का एक दौर वह था जब उसमें कानून और मज़हबी तौर पर तलाक़ की इजाज़त न थी घर के अन्दर मर्द और औरत की ज़िन्दगी चाहे जहन्नम ही क्यों न बन जाए न मर्द को तलाक़ देने की इजाज़त थी न ही औरत अलग होने के लिए कोई प्रयास कर सकती थी यह सारी सख़्ती और सारी शिद्दत हज़रत ईसा अलैहि० के इस कथन की वजह से थी "जिसे ख़ुदा ने जोड़ा है उसे आदमी अलग न करे।" (मत्ती 6 : 19) जिसका मतलब तलाक़ का महत्व कम करना था जैसा कि इस्लाम में भी तलाक़ को "बहुत बड़ा गुनाह" कहा गया है लेकिन ईसाइयों ने मज़हबी मामलात में नई बातों की जो चाल अख़्तियार कर रखी थी उसकी बिना पर हज़रत ईसा अलैहि० के इस कथन की बुनियाद पर तलाक़ को मुकम्मल तौर पर हराम करार दे दिया गया था अगर मर्द और औरत की आपसी मेल मिलाप की कोई भी सूरत बाक़ी न रह गई हो तो आख़िरी रास्ते के तौर पर ईसाइयों के यहां क़ानून यह था कि मर्द औरत एक दूसरे से अलग हो जाएं लेकिन उसके बाद दूसरा निकाह न करें। इस क़ानून की बुनियाद इंजील का यह हुक्म था "जो कोई अपनी पत्नी को हराम कारी के अलावा किसी और कारण से तलाक़ दे और दूसरा निकाह करे वह ज़िना करता है।" (मत्ती, 9 : 19) यह क़ानून भी यद्यपि तलाक़ ही के हौसले को तोड़ने के लिए था लेकिन इसकी ग़लत तावील करके ईसाई उलमा ने इसे पहले क़ानून से भी ज़्यादा बदतर बना दिया था इस क़ानून का मतलब यह था कि अलेहदगी के बाद या तो मर्द

औरत दोनों उमर भर राहिब और राहिबा (या संन्यासी) बनकर रहें या फिर ज़िना और बदकारी का रास्ता अख़्तियार करें लेकिन दूसरा निकाह उनके लिए शजर ममनूआ था।

ईसाइयत का दूसरा दौर यह है जो पहले दौर के बिल्कुल उलट और उसकी सख़्त प्रक्रिया है जिस में पहले केवल मर्द का ही नहीं औरत को भी तलाक़ देने का समान अधिकार हासिल है। दूसरे मर्द औरत का एक दूसरे को तलाक़ देना और दूसरा साथी अख़्तियार करना इतना ही आसान है जितना लिबास तब्दील करना सहल और आसान है। एक दूसरे के मुताबिक़ केवल बरतानिया में तीन साल में तलाक़ की दर में छः गुना वृद्धि हुई है स्वीडन में होने वाली आधी शादियों का अंजाम तलाक़ होता है फ़िनलैंड में तलाक़ की दर अट्ठावन (58%) प्रतिशत है[1] अमेरिका की जन गणना ब्योरो की रिपोर्ट के मुताबिक़ अमेरिका में रोज़ाना सात हज़ार जोड़े निकाह के बन्धन में बांधे जाते हैं जिनमें से तीन हज़ार तीन सौ (अर्थात पचास प्रतिशत) पति पत्नी एक दूसरे को तलाक़ दे देते हैं।[2]

चलते चलते एक निगाह देश में प्रचलित हिन्दू धर्म में निकाह व तलाक़ के क़ानूनों पर भी डालते चलिए।

निकाह के क़ानून

हिन्दू धर्म में आठ प्रकार के निकाह हैं दोनों की आपसी रज़ामन्दी की सूरत में तमाम क़िस्में जाइज़ हैं।

1. ब्राहम निकाह : किसी लड़की को बिना संवार कर ब्याहना ब्राहम निकाह कहलाता है।

2. प्राजायत निकाह : मर्द औरत इकट्ठे मिलकर पवित्र रस्मों को पूरा करें तो उसे प्राजायत निकाह कहते हैं।

3. आर्स निकाह : किसी लड़की को दो गाय के बदले ब्याहना आर्स

---

1. निदाए मिल्लत, लाहौर, 21 फ़रवरी 1997 ई० (ख़ानदानी निज़ाम टूट रहा है।)
2. उर्दू नीव्ज़, जद्दा, 19 दिसम्बर 1996 ई०

निकाह कहलाता है।

4. देव निकाह : किसी पुजारी को क़ायम मुक़ाम बनाकर लड़की को देवता की भेंट चढ़ाया जाए तो उसे देव निकाह कहते हैं।

5. गांधरू निकाह : किसी लड़की का अपनी मर्ज़ी से किसी मर्द से मिलाप करना गांधरू निकाह कहलाता है।

6. आसर निकाह : किसी लड़की को बहुत से माल के बदले ब्याहना आसर कहलाता है।

7. राक्षस निकाह : किसी लड़की को अपहरण कर लेना राक्षस निकाह कहलाता है।

8. पिशाच निकाह : किसी लड़की को नशे की हालत में या सोते में भगा ले जाना पिशाच निकाह कहलाता है।[1]

दूसरा निकाह

अगर कोई औरत बांझ हो तो उसका पति दूसरी शादी से पहले आठ साल इन्तिज़ार करेगा अगर औरत के यहां मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो मर्द दस साल इन्तिज़ार करेगा अगर औरत के यहां लड़कियां पैदा हों तो मर्द को दूसरी शादी से पहले बारह साल तक इन्तिज़ार करना चाहिए।[2]

तलाक़

पहले चार क़िस्म के निकाह की सूरत में तलाक़ नहीं हो सकती अन्य चार क़िस्म के निकाहों में तलाक़ का क़ानून यह है कि अपनी पत्नी से नफ़रत करने वाला मर्द पत्नी की मर्ज़ी के बिना तलाक़ नहीं दे सकता न ही ख़ाविन्द से नफ़रत करने वाली औरत ख़ाविन्द की मर्ज़ी के बिना निकाह निरस्त क़रार दे सकती है।[3] ऐसी पत्नी को मर्द (एक तरफ़ा) छोड़ सकता है जिसके बारे

---

1. अर्थ शास्त्र मतबूआ मस्जिद नूरानी, पी.इ.सी.एच.एस., कराची, पृ० 337
2. अर्थ शास्त्र, पृ० 339
3. अर्थ शास्त्र, पृ० 342

में पता चले कि वह किसी दूसरे मर्द के साथ सो चुकी है लेकिन सही वंश और शरीफ़ पत्नी को अलेहदा नहीं किया जा सकता।[1]

नियोग क़ानून

नियोग क़ानून यह है कि अगर पति औलाद पैदा करने के योग्य न हो तो उसे अपनी पत्नी को इजाज़त देनी चाहिए कि वह अच्छी नस्ल के मर्द से मिलाप करके अपने पति के लिए औलाद पैदा करे लेकिन पत्नी इस साहसी पति की सेवा में लगी रहे इसी तरह अगर औरत औलाद पैदा करने के योग्य नहीं तो उसे अपने पति को इजाज़त देनी चाहिए कि वह किसी विधवा औरत से मिलाप करके औलाद पैदा कर ले।[2]

ईसाइयत और हिन्दू धर्म के उल्लिखित क़ानूनों में मन गढ़त यही स्वयं के बनाए हुए क़ानून और क़ायदे हैं जिनके बारे में क़ुरआन मजीद इरशाद फ़रमाता है व य ज़ऊ अनहुम इसरहुम वलअग़लालल्लती कानत अलैहिम (157 : 7) अर्थात हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने आकर उनसे वह बोझ उतार दिए जो उनपर लदे हुए थे और वह (गढ़ी हुई) बंदिशें खोल दीं जिनमें वह जकड़े हुए थे। (सूरह आराफ़, आयत : 157)

इस्लाम चूंकि अल्लाह तआला का उतारा हुआ दीन है जिसे हकीम और ख़बीर ज़ात ने इंसानों के स्वभाव और फ़ितरत के ठीक अनुसार बनाया है इसलिए इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है बल्कि हर हुक्म में एक ऐसी बीच की राह है कि इस गुण तक किसी इंसानी अक़्ल की पहुंच मुमकिन ही नहीं।

इस्लाम न तो तलाक़ पर मुकम्मल पाबन्दी लगाता है कि दोनों पक्षों का चैन व सुकून तबाह होता है तो होता रहे पति पत्नी एक दूसरे से सख़्त नफ़रत करते हैं तो करते रहें घर निरंतर जंग का मैदान बना है तो बना रहे और न ही तलाक़ की ख़ुली छुट्टी देता है कि वह व्यक्ति जब चाहे तलाक़ का शब्द मुहं से निकालकर औरत से अलेहदगी अख़्तियार करले एक तरफ़ा

1. अर्थ शास्त्र, पृ० 381
2. सत्यार्थ प्रकाश, अध्याय 4, पृ० 152-153

तो इस्लाम तलाक़ को सबसे बड़ा गुनाह करार देकर इसकी बुराई पेश करता है मर्द औरत पर ऐसी नैतिक और क़ानूनी पाबन्दियां लगाता है कि अगर पति पत्नी में निभाव करने की कुछ भी भावना मौजूद हो तो दोनों तलाक़ की बजाय निकाह के बन्धन में बंधे रहने को वरीयता दें। दूसरी तरफ़ अगर दोनों में नफ़रत और दुश्मनी इस दर्जे तक पहुंच गई हो कि पति पत्नी या दोनों में से किसी एक की ज़िन्दगी अजीरन हो चुकी हो तो इस्लाम मर्द को ही नहीं औरत को भी अलेहदगी हासिल करने का हक़ देता है यहां तक कि अगर मर्द अपने तौर पर औरत को ख़ुलअ देने के लिए तैयार न हो तो औरत को शरअी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का हक़ भी दिया गया है जो कि दोनों पति पत्नी को अलेहदा करने का अख़्तियार रखती है।

इस्लाम की यही विशेषता दूसरे अहकाम में भी देखी जा सकती है जैसे एक तरफ़ रात की नमाज़ की इतनी रग़बत दिलाई कि इरशादे मुबारक है : "फ़र्ज़ नमाज़ नमाज़ के बाद सबसे श्रेष्ठ नमाज़ रात की नमाज़ है।" (अहमद) दूसरी तरफ़ हमेशा सारी रात क़याम करने वाले को फ़रमाया : "जिसने मेरी सुन्नत छोड़ दी वह मुझ से नहीं।" (बुख़ारी) एक तरफ़ ज़कात लेने वालों को हुक्म दिया कि लोगों के अच्छे माल न लिए जाएं। (बुख़ारी) दूसरी तरफ़ ज़कात देने वालों को हुक्म दिया कि ज़कात लेने वाला आए तो उससे अपने माल छुपा कर न रखें (बुख़ारी) एक तरफ़ मर्दों को हुक्म दिया कि अगर औरतें मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना चाहें तो उन्हें मस्जिद में जाने से न रोको (अबू दाऊद) दूसरी तरफ़ औरतों को यह हुक्म दिया कि औरतों के लिए घर की नमाज़ मस्जिद की नमाज़ से अफ़ज़ल है। (अबू दाऊद) एक तरफ़ मर्दों को हुक्म दिया कि ग़ैर महरम औरत के चेहरे पर पड़ने वाली पहली नज़र तो माफ़ है दूसरी नज़र डालना हराम है। (अबू दाऊद) दूसरी तरफ़ मनकूहा औरत को यह हुक्म दिया कि दिन या रात किसी घड़ी में भी तुम्हारा पति जिन्सी इच्छा पूरी करने के लिए बुलाए तो इंकार न करो वरना अल्लाह नाराज़ होगा (मुस्लिम, इब्ने माजा) दीने इस्लाम के तमाम अहकाम में हिकमत और बीच की राह के इस उसूल को कहीं भी नज़र अन्दाज़ नहीं किया गया। दुनिया का कोई दूसरा धर्म या क़ानून अपने अहकाम या क़ायदों

में ऐसी बीच की राह की मिसालें पेश नहीं कर सकता इस्लाम की यह शान निकाह और तलाक़ के अहकाम में अधिकता से पाई जाती हैं।

इस्लाम और मानव का सम्मान

क़ुरआन मजीद में इरशाद है व-लक़द कर्रमना बनी आदम अर्थात हमने बनी आदम को इज़्ज़त प्रदान की है : (सूरह बनी इसराईल, आयत : 80) क़ुरआन मजीद की इस आयत की ठीक-ठीक टीका हमें तलाक़ के अहकाम में मिलती है तलाक़ की नौबत हमेशा दोनों पक्षों की आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद एक दूसरे के साथ ज़्यादती और अधिकारों के हनन के नतीजे में पेश आती है ऐसी सूरते हाल में बड़े-बड़े परहेज़गार लोगों के हाथों से आचरण का दामन छूट जाता है हर पक्ष अपनी-अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है और इस कोशिश में कभी कभी ग़लत बयानी, आरोप प्रत्यारोप और बहुत सी जाइज़ व नाजाइज़ बातें ज़बान से निकल जाती हैं पति पत्नी के संबंधों की अपनी एक अलग क़िस्में होती हैं जो बड़ी नाज़ुक और संवेदनशील होती हैं पति पत्नी में से किसी एक की ज़बान से निकली हुई मामूली सी बात भी दूसरे पक्ष के लिए न केवल तिरस्कार और बदनामी का कारण बन सकती है बल्कि उसका भविष्य भी ख़तरे में डाल सकती है अतः तलाक़ देते समय अल्लाह तआला ने मर्दों को बार बार यह हिदायत की है :

﴿ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَ لاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ﴾ (٢:٢٣١)

अर्थात या तो भले तरीक़े से उन्हें रोक लो या भले तरीक़े से रुखसत कर दो मात्र सताने के लिए उन्हें न रोको ताकि उन पर ज़्यादती करो। (सूरह बक़रा, आयत : 231) जिसका मतलब यह है कि अगर तुमने पत्नी से रुजूअ का फ़ैसला कर लिया तो उसके साथ आगे सद व्यवहार के साथ ज़िन्दगी बसर करो उसके हक़ अदा करो उसे इज़्ज़त के साथ शरीफ़ाना तरीक़े से घर में बसाओ उसे यह एहसास न हो कि उसे मात्र ज़लील और रुसवा करने के लिए या यातना और हानि पहुंचाने के लिए रोका गया है और अगर तुमने

उसे अलग करने का फ़ैसला कर ही लिया है तब भी उसके ख़िलाफ़ शिकायत या आरोपों का दफ़्तर खोल कर न बैठ जाओ उसकी कमज़ोरियों और ख़ामियों का प्रचार न करते फिरो कि भविष्य की ज़िन्दगी में कोई दूसरा मर्द उसे क़ुबूल करने के लिए तैयार ही न हो बल्कि शरीफ़ाना तरीक़े से उसे रुख़सत करो इसी ज़रूरत को देखते हुए इस्लाम ने तलाक़ के निफ़ाज़ को किसी अदालत या पंचायत आदि के साथ नहीं संबंधित किया बल्कि इस मामले में मर्द को तलाक़ का हक़ दिया गया है कि जब वह महसूस करे पत्नी के साथ उसका साथ नामुमकिन हो चुका है तो क़ायदे के मुताबिक़ वह जब चाहे तलाक़ दे सकता है।

यही मामला ख़ुलअ का है अगर कोई औरत ख़ुलअ लेने के लिए अदालत में जाती है तो अदालत को केवल इस बात का इत्मीनान हासिल करने का हक़ है कि वास्तव में औरत को मर्द के साथ सख़्त नफ़रत है अगर यह दोनों इकट्ठे रहे तो अल्लाह की सीमा को क़ायम नहीं रख सकेंगे लेकिन अदालत को इस बात का हक़ नहीं कि वह औरत से ख़ुलअ के कारण मालूम करे कि वह मर्द औरत जो एक लम्बे समय तक एक दूसरे के साथ इकट्ठे ज़िन्दगी बसर करते रहे हैं अलग होते हुए एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पर मजबूर हो जाएं। हज़रत उमर रज़ि० की सेवा में एक औरत हाज़िर हुई। ख़ुलअ के लिए अपना मुक़दमा पेश किया और कहा कि वह अपने पति को नापसन्द करती है। हज़रत उमर रज़ि० ने औरत को नसीहत की और पति के साथ रहने का मशवरा दिया। औरत ने क़बूल न किया। आपने उसे एक कूड़े करकट से भरी हुई कोठड़ी में बन्द कर दिया। एक रात क़ैद रखने के बाद निकाला और पूछा बताओ "रात कैसी गुज़री?" औरत ने कहा "ख़ुदा की क़सम! पति के यहां जाने के बाद इतनी अच्छी नींद मुझे कभी नहीं आई जितनी आज रात आई है।" यह सुनकर हज़रत उमर रज़ि० ने पति को हुक्म दिया कि वह बिना किसी विलम्ब अपनी पत्नी को अलग कर दे।

(इब्ने कसीर)

मतभेदों, विवादों, बदले की भावना और लड़ाई झगड़े की दहलीज़ पर खड़े एक पक्ष को अच्छे समाज की यह शिक्षा, मानवता के सम्मान की ऐसी

बेनज़ीर मिसाल है जो दीने इस्लाम के अल्लाह की ओर से होने का बड़ा स्पष्ट सबूत है।

एक तरफ़ मर्द को यह हिदायत है कि वह औरत को सद व्यवहार से रुख़सत करे और दूसरी तरफ़ मर्द को यह हिदायत की कि वह पूर्व पति से संबंध के सम्मान में तीन माह तक दूसरा निकाह करने से रुकी रहे यह मानव सम्मान की ऐसी अनोखी मिसाल है जो किसी दूसरे धर्म में ढूंडने से भी नहीं मिलेगी।

अन्तिम बात

कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष आपसी अदावत, दुश्मनी और बदले की कार्रवाइयों के दौरान आख़िर कितने ऐसे साहसी और नेक सीरत लोग होंगे जो इस्लाम की इन शिक्षाओं पर अमल करते होंगे? यह सवाल अपनी जगह चाहे कितना ही हक़ीक़त पसन्दाना क्यों न हो। अल्लाह की हदों को क़ायम रखने वाले नेक सीरत और भाग्यशाली लोगों के वजूद से यह ज़मीन कभी खाली नहीं हुई और न होगी। यद्यपि ऐसे लोगों की संख्या हमेशा कम ही रही है अल्लाह फ़रमाता है : 'व-क़लीलुम मिन इबादियश्शकूरु' अर्थात मेरे शुक्र गुज़ार बन्दों की तादाद कम ही है। (सूरह सबा, आयत : 13)

इस्लामी शिक्षाओं से मुंह मोड़ने की सूरत में इस्लामी शिक्षाओं की सच्चाई पर तो कोई धब्बा नहीं आता। अलबत्ता उन शिक्षाओं से मुंह मोड़ने वालों को उसकी सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ती है। मुंह मोड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति को, अगर पूरा समाज है तो पूरे समाज को उस की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, मामला चाहे औरत के हक़ों का हो या उलझे हुए सामाजिक मसाइल का, जब तक हम इस्लामी शिक्षाओं से मुंह मोड़ते रहेंगे हमारा समाज मसाइल की आग में निरंतर जलता रहेगा। फ़लाह और नजात का रास्ता केवल एक ही है कि हम इस्लामी शिक्षाओं से मुंह मोड़ना छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल के आगे सर झुका दें क़ुरआन मजीद पिछली चौदह सदियों से निरंतर हमें पुकार-पुकार कर आवाज़ दे रहा है :

﴿يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ﴾ (٢٤:٨)

"ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जब रसूल तुम्हें उस चीज़ की तरफ़ बुलाएं जो तुम्हें ज़िन्दगी बख़्शने वाली है।" (सूरह इंफ़ाल, आयत : 24)

काश हम क़ुरआन मजीद की इस ज़िन्दगी बख़्श आवाज़ को सुन सकें काश हमें क़ुरआन मजीद की इस जीवन बख़्श आवाज़ पर अमल करने का सौभाग्य प्रदान हो सके।

शुरू में निकाह और तलाक़ के मसाइल एक ही किताब में दिए गए थे लेकिन पृष्ठ अधिक होने की वजह से दोनों भागों को अलग अलग करना पड़ा। उम्मीद है कि इससे दोनों भागों के लाभकारी होने में कोई कमी नहीं हुई होगी। इंशाअल्लाह

तलाक़ के मसाइल निकाह के मुक़ाबले अधिक तहक़ीक़ तलब और सावधानी वाले थे। हमने विद्वानों से यथा संभव लाभ उठाने की कोशिश की है लेकिन ग़लती की निशान देही पर हम विद्वानों के दिल से शुक्र गुज़ार होंगे। जिन विद्वानों ने अपने क़ीमती मशवरों से नवाज़ा है मैं उनका दिल से शुक्र गुज़ार हूं। हदीस की किताबों की तैयारी और दूसरी ज़बानों में अनुवाद, छपाई व प्रचारित करने में किसी भी तरह हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों के हक़ में दुआ है कि अल्लाह तआला उनके लिए इस भले काम को क़यामत तक के लिए सदक़ा जारिया बनाए और दुनिया व आख़िरत में उनकी इज़्ज़त बढ़ाए। आमीन

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾

"ऐ हमारे पालनहार! हमारी (तुच्छ सी) सेवा (अपनी बारगाह में) क़बूल फ़रमा, बेशक तू ख़ूब सुनने वाला और जानने वाला है।

मुहम्मद इक़बाल क़ीलानी

اَلنِّـــيَّـةُ

नीयत के मसाइल

मसला 1. कर्मों का आधार नीयत पर है।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلَى امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है कि "कर्मों का आधार नीयतों पर है हर व्यक्ति को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की, अतः जिस व्यक्ति ने दुनिया हासिल करने की नीयत से हिजरत की उसे दुनिया मिलेगी और जिसने किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की उसे औरत ही मिलेगी। अतः मुहाजिर की हिजरत का बदला वही है जिसके लिए उसने हिजरत की।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 2. सांकेतिक शब्द जिनमें तलाक़ की नीयत हो, अदा करने से तलाक़ हो जाती है वरना नहीं।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا اُدْخِلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَ دَنَا مِنْهَا قَالَتْ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ ، فَقَالَ لَهَا : لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ اِلْحَقِىْ بِأَهْلِكِ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि जौन की बेटी (असमा जब निकाह के बाद) रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में पेश की गई और आप (संभोग करने के लिए) उसके क़रीब हुए तो कहने लगी, "मैं आप से अल्लाह की पनाह चाहती हूं।" आपने इरशाद फ़रमाया, "तूने अज़ीम ज़ात की

1. मुख़्तसर सहीह बुख़ारी, ज़बैदी, हदीस 1

पनाह मांगी है अतः अपने घर वालों के पास चली जा।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : रसूले करीम सल्ल० ने स्पष्ट शब्दों में तलाक़ नहीं दी बल्कि सांकेतिक शब्द इस्तेमाल फ़रमाए कि "अपने घर चली जा" चूंकि आपकी नीयत तलाक़ की थी अतः तलाक़ हो गई।

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الْعِرَاقِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى عَامِلِهِ أَنْ مُرْهُ أَنْ يُوَافِيَنِى بِمَكَّةَ فِى الْمَوْسَمِ فَبَيْنَا عُمَرُ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِىْ أُمِرْتَ أَنْ اُجْلَبَ عَلَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا اَرَدْتَ بِقَوْلِكَ حَبْلُكَ عَلَى غَارِبِكَ . فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ! لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِىْ فِىْ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضَعِ مَا صَدَقْتُكَ أَرَدْتُ بِذَلِكَ الْفِرَاقَ . فَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هُوَ مَا أَرَدْتَ . رَوَاهُ مَالِكٌ

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० को इराक़ से किसी आदमी ने ख़त लिखा कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से यूं कहा है : हबलुकी अला ग़ारिबिकी (अर्थात तेरी रस्सी तेरी कोहान पर है) हज़रत उमर रज़ि० ने हाकिमे इराक़ को लिखा कि उस व्यक्ति से कहो कि हज के दौरान मुझे मक्का में मिले। हज़रत उमर रज़ि० ने उससे मालूम किया "कौन हो?" उसने कहा में वही व्यक्ति हूं जिसे आपने (मक्का में) मिलने का हुक्म दिया था।" हज़रत उमर रज़ि० ने फ़रमाया "मैं तुम्हें रब काअबा की क़सम देकर पूछता हूं जब तूने वे कलिमात ज़बान से अदा किए तो तुम्हारी नीयत क्या थी?" आदमी ने अर्ज़ किया "या अमीरुल मोमिनीन! अगर आप किसी दूसरी जगह मुझसे क़सम लेते तो मैं सच्ची बात न कहता (लेकिन यहां सच्ची वात बता रहा हूं) कि उस समय मेरी नीयत तलाक़ की थी।" हज़रत उमर रज़ि० ने फ़रमाया : "जो तेरी नीयत थी वही हो गया।" इसे मालिक ने रिवायत किया है।[2]

---

1. किताबुत्तलाक़, बाब मिन तलाक़।
2. किताबुत्तलाक़, बाब माजा।

मसला 3. तलाक़ देने की नीयत न हो तो ज़बरदस्ती दिलाई गई तलाक़ नहीं होती।

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِىْ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَ مَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (٢) (صحيح)

हज़रत अबू ज़र ग़िफ़्फ़ारी रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत से ख़ता, भूल और ज़बरदस्ती की हालत में किया हुआ काम माफ़ फ़रमा दिया है।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1662

كِرَاهَةُ الطَّلاَقِ

तलाक़ की कराहत

मसला 3. हंसी, मज़ाक़ ग़ुस्सा या संजीदगी में से हर हालत में दी गई तलाक़ हो जाती है।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ **ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ ، اَلنِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ** . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (حسن)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया : "तीन चीज़ों में संजीदगी, और हंसी मज़ाक में की गई बात वही हो जाती है पहली चीज़ निकाह, दूसरी चीज़ तलाक़ और तीसरी चीज़ रुजूअ।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 4. अकारण तलाक़ का मुतालबा करने वाली औरत जन्नत की ख़ुशबू तक नहीं पाएगी।

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : **أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ** . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत सौबान रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : जिस औरत ने अपने पति से अकारण तलाक़ मांगी उस पर जन्नत की ख़ुशबू हराम है।" इसे तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

मसला 5. बिना वजह ख़ुलअ तलब करने वाली औरत कपटी है।

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : **اَلْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ** رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

हज़रत सौबान रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, पहला भाग, हदीस 944
2. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, पहला भाग, हदीस 948

फ़रमाया : "(बिना वजह) ख़ुलअ हासिल करने वाली औरतें कपटी हैं।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : ख़ुलअ के मसाइल ख़ुलअ के अध्याय में देखें।

मसला 6. बिला सबब पत्नी को तलाक़ देना बहुत बड़ा गुनाह है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَ ذَهَبَ بِمَهْرِهَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : अल्लाह के निकट यह बहुत बड़ा गुनाह है कि एक आदमी किसी औरत से निकाह करले और फिर जब अपनी ज़रूरत पूरी करले तो तलाक़ दे दे और उसका मेहर भी अदा न करे।" इसे हाकिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 7. तलाक़ हासिल करने के लिए पत्नी को पति के ख़िलाफ़ भड़काने वाला मर्द (या औरत) रसूलुल्लाह सल्ल० का अवज्ञाकारी है।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ إِمْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "वह व्यक्ति हम से नहीं जो किसी औरत को उस के पति के ख़िलाफ़ भड़काए या ग़ुलाम को उसके मालिक के ख़िलाफ़ बहकाए।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[3]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَ تَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "कोई औरत अपनी बहन (सौतन) की तलाक़ का मुतालबा न करे कि सौतन का

---

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, पहला भाग, हदीस 948
2. सलसलात अहादीस, सहीह लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 999
3. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 1908

हिस्सा भी स्वयं ले सके (और इसकी जगह स्वयं) निकाह करले इस लिए कि जो इस की क़िस्मत में लिखा है उसे मिल जाएगा।'' इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 8. पति पत्नी को अलग करना इबलीस का सबसे ज़्यादा पसन्दीदा काम है।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ

हज़रत जाबिर रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया ''इब्लीस का तख़्त पानी पर है वहां से वह अपने लश्कर (दुनिया में फसाद पैदा करने के लिए) भेजता है। इब्लीस को सबसे ज़्यादा प्रिय वह शैतान होता है जो सबसे बड़ा फ़ितना पैदा करे (जब शैतान वापस आकर अपनी अपनी कारकरदगी बताते हैं तो) एक कहता है ''मैंने फ़लां फ़लां कारनामा अंजाम दिया है।'' इब्लीस कहता है ''तूने कुछ भी नहीं किया।'' फिर दूसरा शैतान आता है वह कहता है ''मैं फ़लां पति पत्नी के पीछे पड़ा रहा यहां तक कि दोनों में अलेहदगी करवा दी।'' इब्लीस उसे अपने पास (तख़्त पर) बैठा लेता है और कहता है ''तूने ख़ूब किया।'' इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 1906
2. किताबुस्सिफ़ात अल मुनाफ़िक़ीन।

اَلطَّلاَقُ فِیْ ضَوْءِ الْقُرْآنِ

तलाक़ क़ुरआन मजीद की रौशनी में

मसला 9. दौराने हैज़ तलाक़ देना मना है।

मसला 10. हामला और मदखूला औरत की तलाक़ की इद्दत तीन पाकी या तीन हैज़ है बशर्ते कि नाबालिग़ बच्ची (जिसे अभी हैज़ आना शुरू न हुआ हो), या आइसा (जिसे ज़्यादा उम्र की वजह से हैज़ आना बन्द हो गया हो) या मृत पति वाली न हो।

मसला 11. रजई तलाक़ हो तो इद्दत के दौरान अगर पति रुजूअ करना चाहे तो वली को उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए।

मसला 12. औरतों और मर्दों के हक़ों की शरअी और क़ानूनी हैसियत एक जैसी है, जिस तरह औरतों पर मर्दों के हक़ अदा करना वाजिब है इसी तरह मर्दों पर औरतों के हक़ अदा करना वाजिब है।

मसला 13. रजई तलाक़ में इद्दत ख़त्म होने से पहले पहले पति जब चाहे रुजूअ कर सकता है चाहे औरत राज़ी हो या न हो।

﴿ وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِیْٓ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِیْ ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُوْٓا إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ ﴾ (٢٢٨:٢)

"जिन औरतों को तलाक़ दी गई हो या तीन हैज़ आने तक अपने आप को रोके रखें और उनके लिए यह जाइज़ नहीं है कि अल्लाह तआला ने उनके गर्भ में जो कुछ पैदा किया है उसे छिपाएं उन्हें कदापि ऐसा न करना चाहिए अगर वह अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती हैं अगर उनके पति संबंध ठीक कर लेने पर आमादा हों तो वह उस इद्दत के दौरान में उन्हें फिर अपनी पत्नी बनाने के हक़दार हैं। औरतों के लिए भी भले

तरीक़े पर वैसे ही हक़ हैं जैसे कि मर्दों के उन पर हैं अलबत्ता मर्दों को उन पर दर्जा हासिल है और अल्लाह तआला सब पर ग़ालिब है और हिकमत वाला है।" (सूरह बक़रा, आयत : 228)

स्पष्टीकरण : 1. याद रहे गर्भवती की इद्दत स्पष्ट हमल है, ग़ैर मदख़ूला मुताल्लिक़ा की कोई इद्दत नहीं है तलाक़ के फ़ौरन बाद दूसरा निकाह कर सकती है जिन औरतों को बुढ़ापे की वजह से हैज़ आना बन्द हो गया हो उनकी इद्दत तीन माह है।

2. गर्भ में ख़ल्क़ को न छुपाने का मतलब यह है कि तलाक़ के बाद औरत को जितने हैज़ आएं वह सच-सच बताने चाहिएं जैसे अगर कोई औरत स्वयं भी रुजूअ करने की इच्छुक हो तो हैज़ गुज़रने के बावजूद यह कह दे कि एक या दो हैज़ आए हैं या अगर स्वयं औरत रुजूअ करना पसन्द न करती हो तो एक या दो हैज़ आने पर ही कह दे कि तीन हैज़ आ चुके हैं। ऐसा करने से मना फ़रमाया गया है। इसका दूसरा मतलब गर्भ का मौजूद होना या न होना भी हो सकता है।

मसला 14. रजअी तलाक़ (वह तलाक़ जिसके बाद रुजूअ करने की इज़ाजत है) के अवसर सारी ज़िन्दगी में केवल दो ही हैं।

मसला 15. तीसरी तलाक़ जिसे तलाक़ बाइन कहा जाता है, के बाद रुजूअ का हक़ बाक़ी नहीं रहता बल्कि पति पत्नी में मुस्तक़िल अलेहदगी हो जाती है।

मसला 16. तलाक़ देने के बाद औरत को दिया हुआ मेहर या दूसरा सामान जैसे ज़ेवर या कपड़े आदि वापस नहीं लेने चाहिए।

स्पष्टीकरण : आयत मसला 103 से 107 के अन्तर्गत देखें।

मसला 17. अगर कोई तलाक़शुदा महिला दूसरा निकाह कर ले और दूसरा पति संभोग के बाद अपनी आज़ाद मर्ज़ी से उसे तलाक़ दे दे तो तलाक़शुदा महिला इद्दत गुज़रने के बाद अपने पहले पति से निकाह कर सकती है।

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○ ﴾ (٢:٢٣٠)

"अगर (किसी पति ने अपनी पत्नी को तीसरी) तलाक़ दे दी तो वह औरत फिर उसके लिए हलाल न होगी या यह कि उसका निकाह किसी दूसरे व्यक्ति से हो और वह उसे (आज़ाद मर्ज़ी से) तलाक़ दे तब अगर पहला पति और यह (तलाक़शुदा) औरत दोनों यह ख़्याल करें कि अल्लाह के क़ानून पर क़ायम रहेंगे तो उनके लिए एक दूसरे की तरफ़ रुजूअ कर लेने में कोई हरज नहीं यह अल्लाह की निर्धारित हदें हैं जिन्हें वह (उन) लोगों की हिदायत के लिए स्पष्ट कर रहा है (जो उसकी हदों को तोड़ने का अंजाम) जानते हैं।"

(सूरह बक़रा, आयत : 230)

मसला 18. अगर मर्द चाहे तो औरत को दाम्पत्य जीवन ख़त्म करने का अख़्तियार दे सकता है इस सूरत में औरत का फ़ैसला पूर्ण रूप से लागू होगा।

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ○ ﴾ (٣٣:٢٨)

"ऐ नबी! अपनी पत्नियों से कहो अगर तुम दुनिया और उसकी शोभा चाहती हो तो आओ मैं तुम्हे कुछ दे दिलाकर भले तरीक़े रुख़सत करदूं और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० और परलोक की तालिब हो तो जान लो कि तुम में से जो नेक हैं अल्लाह ने उनके लिए बड़ा अज्र तैयार कर रखा है।" (सूरह अहज़ाब, आयत : 24)

मसला 19. पति पत्नी के बीच झगड़े की सूरत में शरअी अदालत में जाने से पहले अपने अपने पति में से एक एक नेक और मामला फ़हम आदमी को बतौर मध्यस्थ मुक़र्रर करके सुलह करने का हुक्म है।

﴿ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهٖ وَ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُّرِيْدَآ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ○ ﴾ (٤:٣٥)

"और अगर तुम लोगों को पति पत्नी के संबंध बिगड़ जाने का अन्देशा हो तो एक मध्यस्थ मर्द के रिश्तेदारों में से और एक औरत के रिश्तेदारों में

से नियुक्त करो। वह दोनों (मध्यस्थ या पति पत्नी) सुधार करना चाहेंगे तो अल्लाह तआला उनके बीच सहमति की सूरत पैदा कर देगा अल्लाह सब कुछ जानता है और बाख़बर है।'' (सूरह निसा, आयत 35)

मसला 20. एक से अधिक पत्नियां रखने वाले पति से अगर किसी पत्नी को किसी वजह से दुर्व्यवहार और बेरुखी का ख़तरा हो और वह पत्नी अपने हक़ छोड़कर अपने पति के साथ ज़िन्दगी बसर करने पर तैयार हो तो पति को उसे तलाक़ न देने का प्रलोभन दिलाया गया है।

मसला 21. पति पत्नी के बीच बिगाड़ की सूरत में एक दूसरे के साथ ख़ुदा तरसी का व्यवहार अख़्तियार करने का हुक्म है।

﴿ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ط وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ٥ ﴾ (٤:١٢٨)

''जब किसी औरत को अपने पति से दुर्व्यवहार या बेरुखी का ख़तरा हो तो कोई हरज नहीं अगर पति और पत्नी (कुछ हक़ों की कमी और ज़्यादती पर) आपस में समझौता कर लें, समझौता बहर हाल (अलहेदगी से) बेहतर है। नफ़्स तंगदिली की तरफ़ जल्द झुक जाते हैं लेकिन अगर तुम लोग एहसान से पेश आओ और ख़ुदा तरसी से काम लो, यक़ीन रखो अल्लाह तुम्हारे इस (नेक) व्यवहार से बेख़बर न होगा।''

(सूरह निसा, आयत 128)

स्पष्टीकरण : औरत की तंग दिली यह है कि अपनी बीमारी, बुढ़ापे या बदसूरती के बावजूद मर्द से उसी मुहब्बत और चाहत का तक़ाज़ा करे जो स्वस्थ या नौजवान या सुन्दर पत्नी के लिए हो सकती है। मर्द की तंग दिली यह है कि नई शादी के बाद पहली पत्नी के ज़्यादा से ज़्यादा हक़ कम करने की कोशिश करे और उसकी मजबूरी (बीमारी, बुढ़ापा या बदसूरती) से नाजाइज़ फ़ायदा उठाए।

मसला 22. तलाक़ देना केवल मर्द का हक़ है औरत का नहीं।

मसला 23. संभोग से पहले अगर कोई आदमी अपनी पत्नी को तलाक़

दे दे तो औरत पर कोई इद्दत नहीं। तलाक़ के तुरन्त बाद औरत दूसरा निकाह कर सकती है।

मसला 24. संभोग से पहले दी गई तलाक़ में रुजूअ का हक़ बाक़ी नहीं रहता।

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ج فَمَتِّعُوْهُنَّ وَ سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴾ (٤٩:٣٣)

"ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो! जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो और फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक़ दे दो तो तुम्हारी तरफ़ से उन पर कोई इद्दत नहीं जिसके पूरा करने का तुम मुतालबा कर सको अतः उन्हें कुछ माल दो और भले तरीक़े से रुख़सत करो।"

(सूरह अहज़ाब, आयत : 49)

मसला 25. जल्दी में या ग़ुस्से में बिना सोचे समझे तलाक़ देना मना है।

मसला 26. दौराने हैज़ तलाक़ देना मना है।

मसला 27. जिस पाकी में औरत से सोहबत की हो उसमें तलाक़ देना मना है।

मसला 28. एक समय में तीन तलाक़ें देना मना है।

मसला 29. तलाक़ देने के बाद इद्दत की मुद्दत की सही गणना करना ज़रूरी है।

मसला 30. रजअी तलाक़ के बाद औरत को इद्दत पूरी होने तक पति के घर पर ही रहना चाहिए।

मसला 31. इद्दत के दौरान रजअी तलाक़ वाली औरत को घर से निकालना मना है।

मसला 32. इद्दत के दौरान रजअी तलाक़ वाली औरत का भरण पोषण मर्द के ज़िम्मे वाजिब है।

मसला 33. तलाक़ के मामले में अल्लाह तआला के आदेशों का उल्लंघन करने वाले ज़ालिम हैं।

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ ج وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ط وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ ط وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط لاَ تَدْرِيْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ٥ ﴾ (١:٦٥)

"ऐ नबी! जब तुम लोग औरतों को तलाक़ दो तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक़ दिया करो और इद्दत के ज़माने का ठीक-ठीक शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है (ज़माना इद्दत में) न तुम उन्हें उनके घरों से निकालो न वह स्वयं निकलें या यह कि वह किसी खुली बुराई को करें। ये अल्लाह की निर्धारित हदें हैं और जो कोई अल्लाह की हदों से आगे बढ़ेगा वह अपने ऊपर स्वयं ज़ुल्म करेगा तुम नहीं जानते शायद इस (रजअी तलाक़) के बाद अल्लाह तआला (मेल मिलाप की) कोई सूरत पैदा कर दे।"

(सूरह तलाक़, आयत : 1)

मसला 34. निकाह के बाद अगर संभोग करने से पहले जब कि महर भी अभी तै न हुआ हो, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक़ दे तो उस पर मेहर अदा करना वाजिब नहीं अलबत्ता अपनी हैसियत के मुताबिक़ औरत को कुछ न कुछ हदिया देना चाहिए।

﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ أَوْتَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ج وَّ مَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ج مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ٥﴾ (٢٣٦:٢)

"तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक़ दे दो उसके पहले कि हाथ लगाने की नौबत न आए या मेहर हो इस सूरत में उन्हें कुछ न कुछ देना ज़रूर चाहिए। सम्पन्न आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक़ और ग़रीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक़ भले तरीक़े से दे यह नेक लोगों पर अनिवार्य है।" (सूरह बक़रा, आयत : 236)

मसला 35. निकाह के बाद अगर संभोग करने से पहले जबकि मेहर

तै हो चुका हो, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक़ दे दे तो उस पर आधा मेहर अदा करना वाजिब है।

﴿ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَّعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ط وَ أَنْ تَعْفُوْآ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ط وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ ﴾ (٢:٢٣٧)

"और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक़ दी हो लेकिन मेहर तै किया जा चुका हो तो इस सूरत में आधा मेहर देना होगा यह और बात है कि औरत दरगुज़र से काम ले (और मेहर न ले) या वह मर्द जिसके हाथ में निकाह है दरगुज़र से काम ले (और पूरे का पूरा मेहर दे दे) और तुम (अर्थात मर्द) नर्मी से काम लो तो यह तक़्वा के ज़्यादा क़रीब है आपसी मामलात में दानवीरता के तरीक़े को न भूलो बेशक जो कुछ तुम लोग करते हो अल्लाह उसे देख रहा है।" (सूरह बक़रा, आयत : 237)

صِفَاتُ الزَّوْجِ الْأَمْثَلِ

आदर्श पति की विशेषताएं

मसला 36. पत्नी से सद व्यवहार करने वाला मर्द बेहतरीन पति है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ وَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "तुममें से बेहतरीन व्यक्ति वह है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो और मैं तुम सब में से अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। जब तुम्हारा कोई साथी मर जाए तो उसकी बुरी बातें करना छोड़ दो।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلنِّسَاءِ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "तुममें से बेहतर व्यक्ति वह है जो अपनी औरतों के लिए अच्छा है।" इसे हाकिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 37. पत्नी को न मारने वाला व्यक्ति बेहतरीन पति है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَادِمًا وَ لَا إِمْرَأَةً قَطُّ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं : रसूलुल्लाह सल्ल० ने किसी सेवक या औरत को कभी नहीं मारा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[3]

मसला 38. आज़माइश और मुसीबत में सब्र करने वाला व्यक्ति

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, तीसरा भाग, हदीस 3057
2. सहीह जामे सग़ीर, लिल अलबानी, तीसरा भाग, हदीस 3311
3. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, तीसरा भाग हदीस 4003

बेहतरीन पति है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० कहती है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जो व्यक्ति बेटियों की वजह से आज़माया गया और उसने उन पर सब्र किया तो वे बेटियां उस (बाप) के लिए आग से रुकावट होंगी।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 39. बेटियों को दीनी शिक्षा दिलवाने और अच्छी दीक्षा करने वाला व्यक्ति बेहतरीन पति है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जो व्यक्ति बेटियों के साथ आज़माया गया और उसने एक साथ नेकी की (अर्थात अच्छी शिक्षा दीक्षा की) वह उस व्यक्ति के लिए आग से रुकावट होंगी।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 40. पत्नी के मामले में दर गुज़र करने वाला, नर्मी से काम लेने वाला और पत्नी के हक़ में भलाई की बात क़बूल करने वाला व्यक्ति अच्छा पति है।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَ إِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَ إِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ إِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "जो व्यक्ति अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है उसे

1. सहीह सुनन अलतिर्मिज़ी, लिल अलबानी, दूसरा भाग हदीस 104
2. किताबुलबर्र वस्सिला, अध्याय फ़ज़्ल।

जब कोई मामला पेश हो तो भलाई की बात करे या ख़ामोश रहे। लोगो! औरतों के हक़ में ख़ैर और भलाई की बात क़ुबूल करो (याद रखो!) औरतें पसली से पैदा की गई हैं और पसली में से सबसे ज़्यादा टेढ़ी ऊपर की पसली है। (अर्थात जितने ऊंचे ख़ानदान की होगी उतनी ज़्यादा टेढ़ी होगी) अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो तोड़ डालोगे और अगर वैसे ही छोड़ दिया तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी अतः उन के हक़ों में ख़ैर और भलाई की बात क़ुबूल करो।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 41. घर वालों पर ख़ुशदिली से ख़र्च करना अच्छे पति की विशेषता है।

عَنْ أَبِیْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِیِّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ : نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلٰی أَهْلِهِ صَدَقَةٌ . رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ (صحيح)

हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : आदमी का अपने घर वालों पर ख़र्च करना सदक़ा है।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[2]

عَنْ أَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَـارٌ أَنْفَقْتَـهُ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِیْ رَقَبَةٍ وَ دِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهٖ عَلٰی مِسْكِيْنٍ وَّ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلٰی أَهْلِكَ ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا اَلَّذِیْ أَنْفَقْتَهُ عَلٰی أَهْلِكَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "(अगर) एक दीनार तुमने अल्लाह की राह में ख़र्च किया, एक ग़ुलाम को आज़ाद कराने में ख़र्च किया, एक मिस्कीन पर सदक़ा किया और एक अपने घर वालों पर ख़र्च किया, तो अज्र के हिसाब से वह दीनार सबसे श्रेष्ठ है जो तुमने अपने घर वालों पर ख़र्च किया।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

मसला 42. घर के काम काज में पत्नी का हाथ बटाने वाला पति

1. किताबुन्निकाह, बाबुल वसीयत बिन्निसा।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, तीसरा भाग, हदीस 4003
3. किताबुज़्ज़कात, बाब फ़ज़्ल।

बेहतरीन पति है।

عَنِ الْاَسْوَدِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِیُّ ﷺ يَصْنَعُ فِیْ أَهْلِهِ ، قَالَتْ كَانَ فِیْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

हज़रत असवद रज़ि० से रिवायत है कि मैंने हज़रत आइशा रज़ि० से अ़र्ज़ किया "रसूले अकरम सल्ल० घर में क्या करते थे?" हज़रत आइशा रज़ि० ने फ़रमाया : आप घर के काम काज में व्यस्त रहते और जब नमाज़ का समय होता तो नमाज़ के लिए उठ खड़े होते।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : दूसरी रिवायत में है कि आप बाज़ार से सौदा ख़रीदकर लाते और अपना जूता आदि स्वयं मरम्मत कर लिया करते।

1. किताबुलअदब, अध्याय कैफ़।

صِفَاتُ الزَّوْجَةِ الْأَمْثَلَةِ

आदर्श पत्नी की विशेषताएं

मसला 43. कुंवारी, मीठी बातों वाली, ख़ुश मिजाज़, सन्तुष्ट, पति का दिल लुभाने वाली और ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरत बेहतरीन जीवन साथी है।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَدِيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَ أَنْتَقُ أَرْحَامًا وَ أَرْضَى بِالْيَسِيْرِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सालिम उतबा बिन अदीम साइदा अंसारी रज़ि० अपने बाप से और उसके बाप ने अपने दादा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "कुंवारी औरत से निकाह करो वह मीठी बातों वाली होती हैं ज़्यादा बच्चे जनती हैं और थोड़ी चीज़ पर जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيْبًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ ، قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللهِ ! إِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، قَالَ : تَزَوَّجْتَ ، قُلْتُ : نَعَمْ ! قَالَ : أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ قُلْتُ : بَلْ ثَيِّبٌ . قَالَ : فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَ تُلاَعِبُكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत जाबिर रज़ि० कहते हैं हम एक ग़ज़वा में नबी अकरम सल्ल० के साथ थे जब हम वापस हुए तो मदीना के क़रीब में अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल०! मैंने नई-नई शादी की है।" आपने मालूम किया "क्या तूने शादी की है?" मैंने अर्ज़ किया "हां!" आपने फ़रमाया : "कुंवारी से या विधवा से?" मैंने अर्ज़ किया, "बेवा से।" आपने इरशाद फ़रमाया : "कुंवारी से शादी क्यों नहीं की वह तेरे साथ खेलती और तू उसके साथ

1. सहीह सुनन इब्ने माजा लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1508

खेलता।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 44. पति के पीछे उसके माल और उसकी इज़्ज़त की रक्षक और अपने पति की आज्ञा की पालक और वफ़ादार औरत बेहतरीन पत्नी है।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ النِّسَآءِ مَنْ تَسُرُّكَ إِذَا بَصَرْتَ وَ تُطِيْعُكَ إِذَا أَمَرْتَ وَ تَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِيْ نَفْسِهَا وَ مَالِكَ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "बेहतरीन पत्नी वह है जिसकी तरफ़ तू देखे तो तुझे ख़ुश करदे और जब तू किसी बात का हुक्म दे तो पूरा करे और तेरी ग़ैर मौजूदगी में तेरे माल और अपनी ज़ात की रक्षा करे।" इसे तबरानी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 45. औलाद से मुहब्बत करने वाली अपने पति के तमाम मामलों की अमीन महिला बेहतरीन पत्नी है।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نِسَآءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَآءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ وَ أَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "ऊंटों पर सवार होने वाली औरतों में से बेहतरीन औरतें क़ुरैश की हैं। बच्चों पर बड़ा प्यार और मेहरबानी करने वालियां हैं और अपने पतियों के माल व दौलत की रक्षक और अमीन होती हैं।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

मसला 46. पति की जिन्सी भावना का सम्मान करने वाली महिला पर अल्लाह तआला राज़ी रहता है।

---

1. मिश्कातुल मसाबीह, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 3088
2. सहीह जामे सग़ीर, लिल अलबानी, तीसरा भाग, हदीस 3294
3. किताबुलफ़ज़ानिल, अध्याय फ़ी निसा क़ुरैश।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने बिस्तर पर बुलाए और पत्नी इंकार कर दे तो वह ज़ात जो आसमानों में है नाराज़ रहती है। यहां तक कि उसका पति उससे राज़ी हो जाए।” इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 47. पति से बहुत ज़्यादा मुहब्बत करने वाली औरत बेहतरीन जीवन साथी हयात है।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ (حسن)

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया “मुहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरत से निकाह करो क्योंकि मैं क़यामत के दिन दूसरे अंबिया के मुक़ाबले में तुम्हारी अधिक संख्या की वजह से गर्व करूंगा।” इसे अहमद और तबरानी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 48. पांच नमाज़ों की पाबन्दी करने वाली, रमज़ान के रोज़े रखने वाली, पवित्र मन और पति की आज्ञापालक महिला बेहतरीन जीवन साथी है।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ حَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ . رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : “जो औरत पांच नमाज़ें अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करे और अपने पति का आज्ञा पालन करे उससे (क़यामत के रोज़) कहा जाएगा जन्नत के (आठों) दरवाज़ों में से जिससे चाहे दाख़िल हो जा।” इसे इब्ने हिबान ने रिवायत किया है।[3]

---

1. किताबुन्निकाह,
2. आदाबुज़्ज़फ़ाफ़ लिल अलबानी, पृ० 89
3. सहीह जामे सग़ीर, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 273

मसला 49. पति को ख़ुश रखने, पति की आज्ञा का पालन करने और अपनी जान व माल पति पर क़ुर्बान करने वाली महिला बेहतरीन जीवन साथी है।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ ! أَىُّ النِّسَآءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : **أَلَّتِىْ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَ تُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ وَ لاَ تُخَالِفُهُ فِىْ نَفْسِهَا وَ مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ** . رَوَاهُ النَّسَائِىُّ (حسن)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं अर्ज़ किया गया "या रसूलुल्लाह सल्ल०! बेहतरीन औरत कौन सी है?" आपने इरशाद फ़रमाया "वह औरत कि जब उसका पति उसकी तरफ़ देखे तो ख़ुश कर दे जब किसी बात का हुक्म दे तो उसकी आज्ञा का पालन करे और औरत की जान और माल के मामले में पति जिस चीज़ को नापसन्द करता हो उसमें उसका विरोध न करे।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।[1]

मसला 50. हर मामले में पति की आख़िरत का ख़्याल रखने वाली मोमिना आदर्श पत्नी है।

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ فِى الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ ، قَالُوْا : فَأَىَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ ؟ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذٰلِكَ ، فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيْرِهِ . فَأَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ ، وَ أَنَا فِىْ أَثَرِهِ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ ! أَىَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ ؟ فَقَالَ : **لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً ، تُعِيْنُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ** . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत सौबान रज़ि० कहते हैं जब सोना चांदी (जमा करने की चेतावनी) के बारे में आयत नाज़िल हुई तो सहाबा किराम रज़ि० ने आपस में कहा "फिर हम कौन सा माल जमा करें?" हज़रत उमर रज़ि० ने कहा "मैं तुम्हारे लिए अभी इस सवाल का जवाब मालूम करता हूं।" अतएव हज़रत उमर रज़ि० अपने ऊंट पर सवार होकर तेज़ी से गए और नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुए। मैं (अर्थात हज़रत सौबान रज़ि०)

---

1. सहीह सुनन नसाई लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1505

हज़रत उमर रज़ि० के पीछे-पीछे था। हज़रत उमर रज़ि० ने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल०! "हम कौन सा माल जमा करें?" आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "तुममें से हर एक को शुक्र गुज़ार दिल, ज़िक्र करने वाली ज़बान, मोमिना पत्नी जो आख़िरत के बारे में तुम्हारी मददगार साबित हो, हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 51. आदर्श पत्नी बनने के लिए चार अनुसरण योग्यत मिसालें।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ نِسَآءِ الْعَالَمِيْنَ أَرْبَعٌ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَ آسِيَةُ إِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ (صحيح)

हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "कायनात की बेहतरीन महिलाएं चार हैं। 1. हज़रत मरयम बिन्ते इमरान रज़ि०, 2. हज़रत ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैल्द रज़ि०, 3. हज़रत फ़ातिमा रज़ि० बिन्ते सल्ल०, 4. फिरऔन की पत्नी हज़रत आसिया रज़ि०।" इसे अहमद और तबरानी ने रिवायत किया है।[2]

---

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1505
2. सहीह जामे सग़ीर, लिल अलबानी, तीसरा भाग, हदीस 3323

أَهَمِّيَّةُ حُقُوْقِ الزَّوْجِ

पति के अधिकारों का महत्व

मसला 52. जो औरत अपने पति का हक़ अदा नहीं कर सकती वह अल्लाह का हक़ भी अदा नहीं कर सकती।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتّٰى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا وَ لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَ هِيَ عَلٰى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी अवफ़ा रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है औरत उस समय तक अपने रब का हक़ अदा नहीं कर सकती जब तक अपने पति का हक़ अदा न करे औरत अगर पालान (घोड़े या ऊंट पर बैठने के लिए इस्तेमाल की जानी वाली गद्दी) पर सवार होकर मर्द उसे बुलाए तब भी औरत को इंकार नहीं करना चाहिए। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 53. किसी औरत के लिए अपने पति के हक़ पूरी तरह अदा करना मुमकिन नहीं।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلٰى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَالدَّارُ قُطَنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ (صحيح)

हज़रत अबू सईद रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "पति का पत्नी पर हक़ इतना है कि अगर पति को घाव आ जाए और पत्नी उसको चाट ले तब भी पति का हक़ अदा नहीं कर सकती।" इसे हाकिम, इब्ने हिबान, इब्ने अबी शीबा, दारे क़ुतनी और

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1533

बेहैक़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 54. पति के हक़ अदा न करने वाली पत्नी के लिए जन्नत की हूरें बद्दुआ करती हैं।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُـؤْذِىْ امْـرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لاَ تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَإِنَّمَـا هُـوَ عِنْـدَكِ دَخِيْـلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जब कोई औरत अपने पति को कष्ट पहुंचाती है तो मोटी आंखों वाली हूरों में से उस (भले पति) की पत्नी कहती है अल्लाह तुझे हलाक करे इसे कष्ट न दे यह कुछ दिन के लिए तेरे पास है शीघ्र ही तुझे छोड़कर हमारे पास आने वाला है।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

---

1. सहीह जामे सग़ीर, लिल अलबानी, तीसरा भाग, हदीस 3143
2. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी पहला भाग, हदीस 1637

حُقُوْقُ الزَّوْجِ

पति के अधिकार

मसला 55. ख़ानदानी व्यवस्था के हिसाब से (ईमान और तक़वा के हिसाब से नहीं) पति की उच्च्य हैसियत को मान लेना पत्नी पर वाजिब है।

मसला 56. पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन न करे तो पहले मरहले में उसे समझने, दूसरे मरहले में अपनी कक्ष में बिस्तर से अलग करने और तीसरे मरहले में हल्की मार मारने का हक़ हासिल है।

﴿ اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ط وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ○ ﴾ (٣٤:٤)

“मर्द औरतों पर सरदार हैं इस आधार पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर श्रेष्ठता दी है और इस आधार पर कि मर्द अपना माल ख़र्च करते है तो जो भली औरतें हैं वह आज्ञा पालक होती हैं और मर्दों की ग़ैर मौजूदगी में अमानत की रक्षा मर्दों के हक़ों की हिफ़ाज़त करती हैं और जिन औरतों से तुम्हें उद्दंडता का ख़तरा हो उन्हें समझाओ, ख़्वाबगाहों में उनके लिए बिस्तर अलग कर दो और मारो अगर वह आज्ञा पालक हो जाएं तो बेकार में उन पर सख़्ती करने के लिए बहाने न तलाश करो। यक़ीन रखो कि अल्लाह बड़ा और उच्चतर है।” (सूरह निसा, आयत : 34)

मसला 57. अपनी हिम्मत और हैसियत के मुताबिक़ पति की आज्ञा का पालन और सेवा करना पत्नी पर वाजिब है।

मसला 58. पति पत्नी की जन्नत या जहन्नम है।

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَتْنِىْ عَمَّتِىْ قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَقَالَ : **أَىْ هٰذِهِ أَذَاتُ بَعْلٍ ؟** قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : **كَيْفَ**

أَنْتِ لَهُ ؟ قُلْتُ : مَا آلُوْهُ إِلاَّ مَا عَجِزْتُ عَنْهُ ، قَالَ [فَانْظُرِیْ] أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ؟ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَ نَارُكِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ (صحيح)

हज़रत हुसैन बिन मिहसन रज़ि० से रिवायत है कि मुझे मेरी फूफी ने बताया कि मैं किसी काम से रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई तो आपने पूछा "कौन औरत आई है, क्या पति वाली है?" मैंने अर्ज़ किया "हां!" फिर आपने मालूम किया "तेरा अपने पति के साथ कैसा रवैया है?" मैंने अर्ज़ किया "मैंने कभी उसका आज्ञापालन और सेवा करने में कसर नहीं छोड़ी सिवाए उस चीज़ के जो मेरे बस में न हो।" आपने इरशाद फ़रमाया : "अच्छा यह बताओ उसकी नज़र में तुम कैसी हो? याद रखो! वह तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है।" इसे अहमद, तबरानी, हाकिम और बेहैक़ी ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ أَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَنْ يَّسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "अगर मैं (अल्लाह के अलावा) किसी दूसरे को सज्दा करने का हुक्म देता तो पत्नी को हुक्म देता कि वह अपने पति को सज्दा करे।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : जिस मामले में पति अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० की अवज्ञा का हुक्म का दे उस मामले में पति का आज्ञापालन कदापि वाजिब नहीं। रसूले अकरम सल्ल० का इरशादे मुबारक है। "अल्लाह तआला की अवज्ञा के मामले में किसी का आज्ञापालन जाइज़ नहीं।" (मुसनद अहमद)

मसला 59. पति की हर जाइज़ इच्छा का सम्मान करना पत्नी पर वाजिब है।

عَنْ أَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَ زَوْجُهَا شَاهِدٌ ، وَ لاَ تَأْذَنْ فِیْ بَيْتِهٖ إِلاَّ بِإِذْنِهٖ وَ مَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ

1. आदाबुज़्ज़फ़ाफ़, पृ० 280
2. सहीह सुनन अत तिर्मिज़ी, पहला भाग, हदीस 926

أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّىٰ إِلَيْهِ شَطْرُهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : औरत के लिए अपने पति की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बिना (नफ़्ली) रोज़ा रखना जाइज़ नहीं न ही अपने पति की इजाज़त के बिना (घर के मासिक) ख़र्च से अल्लाह की राह में देगी इससे पति को भी आधा सवाब मिलेगा।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْيَأْتِهِ ، وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

हज़रत तल्क़ बिन अली रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जब मर्द पत्नी को अपनी ज़रूरत के लिए बुलाए तो उसे चाहिए कि फ़ौरन हाज़िर हो जाए चाहे तन्दूर पर (रोटी ही पका रही) हो।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 60. पति की अनुपस्थिति में उसके माल की हिफ़ाज़त करना पत्नी पर वाजिब है।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : فِيْ خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوِدَاعِ لاَ تُنْفِقُ إِمْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! وَ لاَ الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَٰلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (حسن)

हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को हज्जतुल विदाअ के साल ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते हुए सुना, आप सल्ल० ने फ़रमाया : "औरत अपने पति के घर से उसकी इजाज़त के बिना कोई चीज़ ख़र्च न करे।" अर्ज़ किया गया : "या रसूलुल्लाह सल्ल० ! क्या खाना भी न खिलाए?" आप ने इरशाद फ़रमाया : "खाना तो हमारे मालों में से बेहतरीन माल है (अर्थात पति की इजाज़त के बिना खाना भी न खिलाए।")
इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[3]

1. किताबुन्निकाह।
2. सहीह सुनन अल तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 927
3. सहीह सुनन अल तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 538

मसला 61. पति की अनुपस्थिति में उसकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करना पत्नी पर वाजिब है।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ خُطْبَةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: **فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ** رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत जाबिर रज़ि० ख़ुत्बा हज्जतुल विदाअ बयान करते हुए रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "लोगो! औरतों पर ज़्यादती करते हुए अल्लाह से डरो क्योंकि तुम ने उन्हें अल्लाह की ज़मानत पर हासिल किया है और उनका सतर तुम्हारे लिए अल्लाह के हुक्म पर जाइज़ हो, तुम्हारा औरतों पर यह हक़ है कि वह तुम्हारे बिस्तर पर (अर्थात घर में) किसी ऐसे व्यक्ति को न आने दें जिसे तुम नापसन्द करो, अगर वह ऐसा करें तो उन्हें ऐसी मार मारने की इजाज़त है जिस से उन्हें सख़्त चोट न लगे।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 62. अच्छे बुरे, तमाम हालात में अपने पति का कृतज्ञ और शुक्र गुज़ार रहना पत्नी पर वाजिब है।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : **رَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَ رَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ** ، قَالُوْا : لِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : **بِكُفْرِهِنَّ** ، قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللهِ ؟ قَالَ : **يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَ يَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلٰى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا** ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : "मैंने आग देखी और आज जैसा भयानक मंज़र मैंने कभी नहीं देखा, जहन्नम में मैंने औरतों की अधिक संख्या देखी।" सहाबा किराम ने अर्ज़ किया "क्यों या रसूलुल्लाह सल्ल०!" आपने इरशाद फ़रमाया : "उनकी नाशुक्री की वजह से।" सहाबा किराम रज़ि० ने अर्ज़

1. किताबुलहज।

किया है "क्या वह अल्लाह की नाशुक्री करती है?" आपने इरशाद फ़रमाया "(नहीं बल्कि) वह अपने पतियों की नाशुक्री करती हैं और उनका एहसान नहीं मानती, औरतों का हाल यह है कि अगर उम्र भर तुम उनके साथ एहसान करते रहो फिर तुम्हारी तरफ़ से कोई मामूली सी तकलीफ़ भी उन्हें पहुंच जाए तो कहेंगी मैंने तो तुझ से कभी सुख पाया ही नहीं।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

1. किताबुन्निकाह, अध्याय कुफ़रानुल अशीर।

أَهَمِّيَّةُ حُقُوْقِ الزَّوْجَةِ

पत्नी के हक़ों का महत्व

मसला 63. औरत के हक़ों की क़ानूनी हैसियत वही है जो मर्द के हक़ों की है।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوِدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ ذَكَّرَ وَ وَعَظَ وَ ذَكَرَ فِي الْحَدِيْثِ قِصَّةً فَقَالَ : أَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ....أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَآءِكُمْ حَقًّا وَ لِنِسَآئِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا.... اَلْحَدِيْث . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (حسن)

हज़रत सुलेमान बिन अम्र अहवस रज़ि० अपने बाप से रिवायत करते हैं जो कि हज्जतुल विदाअ में रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ थे नबी अकरम सल्ल० ने (एक ख़ुत्बे में) अल्लाह तआला की प्रशंसा व स्तुति की और लोगों को वाअज़ व नसीहत की उन्होंने एक हदीस में क़िस्सा भी बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "लोगो! सुनो, औरतों के हक़ में अच्छाई और भलाई की बात क़ुबूल करो। वह तुम्हारे पास क़ैदियों की तरह हैं। ख़बरदार रहो मर्दों के औरतों पर हक़ (वैसे ही) हैं (जैसे) औरतों के मर्दों पर हक़ हैं।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 64. औरत के हक़ अदा करना वाजिब है।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ ! أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَ أَفْطِرْ وَ نَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह

1. सहीह सुनन अल तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 929

सल्ल० ने फ़रमाया : "ऐ अब्दुल्लाह! मुझे बताया गया है कि तुम दिन को निरंतर रोज़े रखते हो और रात को निरंतर उपासना करते हो?" मैंने अर्ज़ किया "हां" या रसूलुल्लाह सल्ल०! ऐसा करता हूं।" आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "ऐसा न कर, रोज़ा भी रख और छोड़ा भी कर। रात को उपासना भी कर और आराम भी कर। तेरे शरीर का तुझ पर हक़ है तेरी आंखों का तुझ पर हक़ है तेरी पत्नी का तुझ पर हक़ है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 65. पत्नी के हक़ अदा न करना विनाश का कारण है।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ **كَفَى إِثْمًا أَنْ يَّحْبِسَ عَنْ مَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُ** . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "आदमी को (नष्ट करने के लिए) उतना गुनाह ही काफ़ी है कि जिस का ख़र्च उसके ज़िम्मे है उसे ख़र्च न दे।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 66. औरत के हक़ अदा न करना कबीरा गुनाह है।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ **اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ ، اَلْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ** . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (حسن)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "ऐ अल्लाह! मैं दो बूढ़ों का हक़ (मारना) हराम करता हूं यतीम का और औरत का।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[3]

मसला 67. पत्नी के मारे गए हक़ की अदायगी क़यामत के रोज़ पति को करनी पड़ेगी।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : **لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ** . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

1. किताबुन्निकाह।
2. किताबुज़्ज़कात, अध्याय फ़ज़्ल।
3. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, दूसरा भाग हदीस 2968

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "क़यामत के दिन तुम्हें एक दूसरे के हक़ ज़रूर अदा करने पड़ेंगे यहां तक कि (अगर सींग वाली बकरी ने बे सींग वाली बकरी को मारा होगा तो) सींग वाली बकरी से बे सींग वाली बकरी का बदला भी लिया जाएगा।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : जानवरों के लिए यद्यपि अज़ाब और सवाब नहीं लेकिन क़यामत के दिन एक दूसरे के हक़ दिलवाने के लिए एक बार जानवरों को ज़िन्दा किया जाएगा। इससे बन्दों के हक़ों का महत्व स्पष्ट होता है।

मसला 68. पत्नी पर ज़ुल्म करने से बचना चाहिए।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ **اِتَّقُوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَآءِ كَأَنَّهَا شَرَارَةٌ** . رَوَاهُ الْحَاكِمُ (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "मज़लूम की बद्दुआ से बचो मज़्लूम की बद्दुआ (इस तेज़ी से) आसमानों पर पहुंचती है जिस तेज़ी से आग का शोला बुलन्द होता है।" इसे हाकिम ने रिवायत किया है।[2]

1. किताबुलबर्र वस्सिला।
2. सिलसिला अहादीस सहीह, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 870

حُقُوْقُ الزَّوْجَةِ

पत्नी के अधिकार

मसला 69. मेहर औरत का हक़ है जिसे अदा करना पति के ज़िम्मे वाजिब है।

﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۝ ﴾ (٤:٢٤)

"फिर जो दाम्पत्य जीवन का आनन्द तुम उनसे उठाओ उसके बदले में उनके मेहर बतौर फ़र्ज़ के अदा करो।" (सूरह निसा, आयत : 24)

मसला 70. भरण पोषण औरत का हक़ है जिसे स्वेच्छा से अदा करना मर्द पर वाजिब है।

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ : أَنْ يُّطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَ أَنْ يَّكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَ لاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ وَ لاَ يُقَبِّحْ وَ لاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत हकीम बिन मुआविया रज़ि० अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने नबी अकरम सल्ल० से सवाल किया "पत्नी का पति पर क्या हक़ है?" आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "जब तू स्वयं खाए तो उसे भी ख़िलाए जब स्वयं पहने तो उसे भी पहनाए, चेहरे पर न मारे, गाली न दे, (कभी अलग करने की ज़रूरत पड़े तो) अपने घर के अलावा किसी दूसरी जगह अलग न करे।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 71. मां बाप के बाद सबसे ज़्यादा सद व्यवहार की हक़दार पत्नी है।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَآئِهِمْ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1500

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "ईमान के हिसाब से कामिल मोमिन वह है जो आचरण में सबसे अच्छा है और तुममें बेहतर व्यक्ति वह है जो अपनी पत्नियों के लिए बेहतर हो।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ **دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ وَ دِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِيْ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ** . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : (अगर) दीनार तुमने अल्लाह की राह में दिया, एक ग़ुलाम आज़ाद करवाने में दिया, एक दीनार मिस्कीन को दिया और एक अपने घर वालों पर ख़र्च किया, उन सबमें से सवाब के हिसाब से घर वालों पर ख़र्च किया गया दीनार सबसे श्रेष्ठ है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : **مَا أَعْطَى الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ** . رَوَاهُ أَحْمَدُ (صحيح)

हज़रत उमर बिन उमैया ज़ुमरी रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "पति पत्नी पर जो ख़र्च करता है वह भी सदक़ा है।" इसे अहमद ने रिवायत किया है।[3]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ **لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ** . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "कोई मोमिन व्यक्ति किसी मोमिना औरत से नफ़रत न रखे अगर औरत की एक आदत नापसन्द होगी तो कोई दूसरी आदत पसन्द होगी।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[4]

---

1. सहीह सुनन अल तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 968
2. किताबुज़्ज़कात, बाब फ़ज़्ल।
3. किताबुन्निकाह।
4. किताबुन्निकाह।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْ آخِرِ الْيَوْمِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़मआ रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : "कोई आदमी अपनी पत्नी को लौंडी की तरह न मारे फिर रात को उससे संभोग करने लगे।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 72. औरत के जिन्सी हक़ अदा करना मर्द पर वाजिब है।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ ابْنِ مَظْعُوْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ التَّبَتُّلَ وَ لَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रह० कहते हैं मैंने सईद बिन अबी वक़ास रज़ि० को कहते हुए सुना है कि रसूले अकरम सल्ल० ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ि० को औरतों से अलग रहने की इजाज़त न दी अगर आप हज़रत उस्मान रज़ि० को इजाज़त दे देते तो हम (कोई दवा आदि खाकर) अपने आपको नामर्द कर लेते। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : इस बारे में अधिक जानने के लिए ईलाअ के आदेश देखें।

मसला 73. पत्नी को क़ुरआन व हदीस की शिक्षा देना और अल्लाह से डरते रहने की ताकीद करते रहना मर्द पर वाजिब है।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : **أَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَ لاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَ أَخِفْهُمْ فِي اللهِ** . رَوَاهُ أَحْمَدُ

हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : "अपनी हैसियत के मुताबिक़ अपने घर वालों पर ख़र्च करो और उन्हें शिक्षा देने के लिए छड़ी को हाथ से न छोड़ो और उन्हें

1. किताबुन्निकाह, अध्याय मायकरह मिन ज़रबु निसा।
2. किताबुन्निकाह, बाब मायकरिहु।

अल्लाह से डरने की ताकीद करते रहो।" इसे अहमद ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَ أَهْلِيْكُمْ نَارًا (٦٦:٦) ﴾ قَالَ : عَلِّمُوْا أَنفُسَكُمْ وَ أَهْلِيْكُمُ الْخَيْرَ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ

हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ि० कहते हैं कि अल्लाह तआला का इरशाद है : "और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।" (सूरह तहरीम, आयत : 6) के बारे में फ़रमाते हैं कि भलाई की बातें स्वयं भी सीखो और अपने घर वालों को भी सिखाओ। इसे हाकिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 74. पत्नी की इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करना मर्द पर वाजिब है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوْثُ وَ رَجُلَةُ النِّسَاءِ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : तीन आदमी जन्नत में दाख़िल नहीं होंगे 1. मां बाप का अवज्ञाकारी, 2. दय्यूस, 3. औरतों के जैसा रूप भरने वाले मर्द।" इसे हाकिम और बेहैकी ने रिवायत किया।[3]

स्पष्टीकरण : दय्यूस उस व्यक्ति को कहते हैं जिस को पत्नी के पास ग़ैर महरम मर्द आएं और उसे ग़ैरत महसूस न हो।

قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ إِمْرَأَتِيْ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّيْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत सईद बिन उबादा रज़ि० ने कहा अगर में अपनी पत्नी को किसी ग़ैर मरहम के साथ देख लूं तो तलवार की धार से उसकी गर्दन उड़ा दूं, नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : "क्या तुम लोग सईद की ग़ैरत पर हैरत

1. नैलुल अवतार, किताबुन्निकाह।
2. मिन हज रीबतु नुबुव्वता, पृ० 26
3. सहीह जामे सग़ीर, लिल अलबानी, तीसरा भाग, हदीस 3058

करते हो? (अर्थात वह बहुत ग़ैरत मन्द इंसान है) लेकिन मैं उससे ज़्यादा ग़ैरत मन्द हूं और अल्लाह तआला मुझसे ज़्यादा ग़ैरत मन्द है (अर्थात अल्लाह तआला कोई हराम काम कत्ल करना, पसन्द नहीं फ़रमाता) इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 75. अगर एक से अधिक पत्नियां हों तो उनके बीच न्याय करना मर्द पर वाजिब है।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ شِقُّهُ مَائِلٌ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जिस व्यक्ति की दो पत्नियां हों और वह उन दोनों में से किसी एक की तरफ़ झुक जाए (अर्थात दोनों में न्याय से काम न ले) वह क़यामत के दिन इस हाल में (क़ब्र से उठकर) आएगा कि उसका आधा धड़ गिरा हुआ (अर्थात फ़ालिज ग्रस्त) होगा।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[2]

1. किताबुन्निकाह।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 1868

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्ल० की ज़िन्दगी में बेहतरीन नमूना है।

मसला 76. रसूले अकरम सल्ल० और पाक पत्नियों के आपसी प्यार व मुहब्बत की एक दिलचस्प घटना।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَتَحَدَّثُ . فَقَالَتْ حَفْصَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَلاَ تَرْكَبِيْنَ اللَّيْلَةَ بَعِيْرِيْ وَ أَرْكَبُ بَعِيْرَكِ تَنْظُرِيْنَ وَ أَنْظُرُ ، فَقَالَتْ : بَلَى ، فَرَكِبَتْ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَ عَلَيْهِ حَفْصَةُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوْا وَ افْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ . فَلَمَّا نَزَلُوْا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَ تَقُوْلُ : يَا رَبِّ ! سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِيْ ، وَ لاَ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقُوْلَ لَهُ شَيْئًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० जब किसी सफ़र पर रवाना होते तो पाक पत्नियों में क़ुरआ (पर्चियां लिखकर) डालते। एक बार क़ुरआ में हज़रत आइशा रज़ि० और हज़रत हफ़्सा रज़ि० दोनों का नाम निकला (तो दोनों साथ हो गई) दौराने सफ़र रसूले अकरम सल्ल० (का मामूल मुबारक था कि) रात के समय चलते-चलते (पाक पत्नी से) बातें किया करते (उस सफर में) हज़रत हफ़्सा रज़ि० ने हज़रत आइशा रज़ि० से (मज़ाक़ के तौर पर) कहा "आज रात तुम मेरे ऊंट पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हारे ऊंट पर सवार हो जाती हूं। ज़रा तुम भी देखो (क्या होता है) और मैं भी देखती हूं, अतएव हज़रत आइशा रज़ि०, हज़रत हफ़्सा रज़ि० के ऊंट पर सवार हो गई। रसूले अकरम सल्ल० रात के समय हज़रत आइशा रज़ि० के ऊंट की तरफ़ तशरीफ़ लाए यद्यपि उस पर हज़रत हफ़्सा

रज़ि० सवार थीं। आप सल्ल० ने हज़रत हफ़्सा रज़ि० को सलाम कहा (लेकिन पहचान न पाए) और चलते गए यहां तक कि अपनी मंज़िल पर पहुंच गए और यूं हज़रत आइशा रज़ि० (उस रात) आप सल्ल० की संगत से महरूम रह गईं। अतएव जब मंजिल पर पड़ाव किया तो हज़रत आइशा रज़ि० ने अपने दोनों पांव अज़खर घास में डाले और फ़रमाने लगीं "या अल्लाह! कोई सांप या बिच्छू भेज दे जो मुझे काट खाए। उन्हें (अर्थात रसूले अकरम सल्ल० को) तो मैं कुछ नहीं कह सकती।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 77. पति पत्नी की राज़ की बात।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ **إِنِّيْ لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَاضِيَةً ، وَ إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى** . قَالَتْ : فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ : **أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لَا وَ رَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَ إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ لَا وَ رَبِّ إِبْرَاهِيْمَ** . قَالَتْ : قُلْتُ : أَجَلْ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने मुझे फ़रमाया "जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है। और जब नाराज़ होती हो तब भी पता चल जाता है?" हज़रत आइशा रज़ि० ने अर्ज़ किया "वह कैसे?" आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "जब तुम मुझसे राज़ी होती हो मुझसे यूं बात करती हो "मुहम्मद सल्ल० के रब की क़सम" और जब नाराज़ होती हो तो यूं कहती हो "इब्राहीम अलैहि० के रब की क़सम" हज़रत आइशा रज़ि० ने अर्ज़ किया "हां या रसूलुल्लाह सल्ल०! वल्लाह सिवाए नाराज़ी की हालत के मैं आपका नाम कभी छोड़ना नापसन्द नहीं करती।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 78. मुहब्बत व्यक्त करने का एक अनोखा अंदाज़।

---

1. मुख़्तसर सहीह बुख़ारी, ज़ुबैदी हदीस 1826
2. मुख़्तसर सहीह बुख़ारी ज़ुबैदी हदीस 1868

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْبَقِيْعِ فَوَجَدَنِيْ وَ أَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِيْ رَأْسِيْ وَ أَنَا أَقُوْلُ : وَ رَأْسَاهُ . فَقَالَ : بَلْ أَنَا ، يَا عَائِشَةُ ! وَرَأْسَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِيْ فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَ كَفَّنْتُكِ وَ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَ دَفَنْتُكِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (حسن)

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं रसूलुल्लाह सल्ल० क़ब्रस्तान बक़ीअ से (एक जनाज़ा पढ़कर) वापस तशरीफ़ लाए तो मेरे सर में सख़्त दर्द था मैंने कहा, मेरा सर फटा जा रहा है।" आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : तेरा नहीं बल्कि मेरा सर फटा जा रहा है।" फिर फ़रमाया : "आइशा (रज़ि० !) अगर तू मुझसे पहले मर गई तो तुम्हारे सारे काम मैं स्वयं करूंगा। तुझे ग़ुस्ल दूंगा तुझे कफ़न पहनाऊंगा तेरी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाऊंगा और स्वयं तेरी तद्फ़ीन करूंगा।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَشْرَبُ وَ أَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَ أَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَ أَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि मैं हैज़ की हालत में पानी पीती और बर्तन नबी अकरम सल्ल० को दे देती। आप बर्तन से उसी जगह मुंह रखकर पानी पीते जहां से मैंने मुंह रखकर पानी पिया होता। हड्डी से गोश्त खाकर नबी अकरम सल्ल० को देती तो आप उसी जगह से खाते थे जहां से मैंने खाया होता। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 79. नबी सल्ल० के घर में सौतनों की नाज़बरदारी।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِصَحْفَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ الَّذِيْ كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَ يَقُوْلُ : غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أَتَى بِصَحْفَةٍ

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1198
2. किताबुलहैज़।

مِنْ عِنْدِ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا ، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيْحَةَ إِلَى الَّتِيْ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا ، وَ أَمْسَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِيْ بَيْتِ الَّتِيْ كُسِرَتْ فِيْهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० अपनी (बारी के मुताबिक़) एक पाक पत्नी के यहां मौजूद थे। उतने में एक दूसरी पाक पत्नी ने एक बर्तन में खाना भेजा। घर वाली पत्नी साहिबा ने (खिलाने वाले) सेवक के हाथ पर चोट मारी और बर्तन नीचे गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया, नबी अकरम सल्ल० ने बर्तन के टुकड़े जमा किए और फिर खाना इकट्ठा करने लगे और (वहां मौजूद लोगों को संबोध करके) फ़रमाया : "तुम्हारी मां को (सौतनों की) ग़ैरत आ गई" फिर आप सल्ल० ने सेवक को रोका और बर्तन तोड़ने वाली पत्नी के घर से नया बर्तन लेकर सेवक के हवाले किया और टूटा हुआ बर्तन उसी घर में रहने दिया जहां वह टूटा था। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : रसूले अकरम सल्ल० हज़रत आइशा रज़ि० की बारी के दिन उन्हीं के यहां मुक़ीम थे। हज़रत आइशा रज़ि० अभी खाना पका रही थी कि हज़रत ज़ैनब रज़ि० या हज़रत हफ़्सा रज़ि० ने खाना पका कर भिजवा दिया जो हज़रत आइशा रज़ि० को बुरा लगा।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَلَغَ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّهَا بِنْتُ يَهُوْدِيٍّ فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَ هِيَ تَبْكِيْ فَقَالَ : **مَا يُبْكِيْكِ** ؟ قَالَتْ : قَالَتْ لِيْ حَفْصَةُ إِنِّيْ إِبْنَةُ يَهُوْدِيٍّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : **إِنَّكِ لَإِبْنَةُ نَبِيٍّ وَ إِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٌّ وَ إِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ فَفِيْمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ ؟** ثُمَّ قَالَ : **إِتَّقِي اللّٰهَ يَا حَفْصَةُ**

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ **(صحيح)**

हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं (उम्मुल मोमिनीन) हज़रत सफ़िया रज़ि० को पता चला कि (उम्मुल मोमिनीन) हज़रत हफ़्सा रज़ि० ने उन्हें यहूदी की बेटी कहा है। हज़रत सफ़िया रज़ि० (यह सुनकर) रोने लगीं। नबी अकरम सल्ल० तशरीफ़ लाए तो हज़रत सफ़िया रज़ि० रो रही थीं आपने पूछा

---

1. किताबुन्निकाह।

''सफ़िया! क्यों रो रही हो?'' हज़रत सफ़िया रज़ि० ने अर्ज़ किया ''हफ़्सा ने मुझे कहा है मैं यहूदी की बेटी हूं।'' नबी अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : ''तुम तो नबी की बेटी हो (मुराद है हज़रत मूसा अलैहि०) और तुम्हारे चचा नबी हैं (मुराद है हज़रत हारून अलैहि०) और तुम नबी की पत्नी हो (मुराद हैं स्वयं हज़रत मुहम्मद सल्ल० इतनी श्रेष्ठता के बावजूद) आख़िर वह (अर्थात हज़रत हफ़्सा रज़ि०) किस बात पर तुम से घमंड जताती है?'' फिर आपने (हज़रत हफ़्सा को संबोध करके) फ़रमाया : ''हफ़्सा! अल्लाह से डर (आइन्दा ऐसी बात मत कहना।)'' इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : याद रहे हज़रत हफ़्सा रज़ि० हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० की बेटी थीं और हज़रत सफ़िया रज़ि० यहूदी सरदार की बेटी थीं।

मसला 80. पाक पत्नियों की नाज़ुक मिज़ाजी का लिहाज़।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آتَى عَلَى أَزْوَاجِهِ وَ سَوَّاقٌ يَّسُوْقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ ، فَقَالَ : وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ ! رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० (दौराने सफ़र) अपनी पाक पत्नियों के पास तशरीफ़ लाए। ऊंटों को हांकने वाला व्यक्ति ऊंटों को (तेज़ तेज़) हांक रहा था जिसका नाम अंजशा था आप सल्ल० ने फ़रमाया : ''अंजशा! तेरे लिए ख़राबी हो, ऊंटों को आहिस्ता-आहिस्ता चला (सवार औरतों को) आबगीने समझकर (कहीं टूट न जाएं)'' इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

1. सहीह सुनन अल तिर्मिज़ी लिल अलबानी, तीसरा भाग, हदीस 3055
2. किताबुलफ़ज़ाइल।

أَنْــوَاعُ الطَّــلَاق

तलाक़ की क़िस्में

मसला 81. तलाक़ की तीन क़िस्में हैं।

1. मसनून तलाक़।

2. ग़ैर मसनून तलाक़।

3. बातिल तलाक़।

1. मसनून तलाक़

मसला 82. हैज़ से पाक होने के बाद जबकि पत्नी से सोहबत न हो, पाकी की हालत में पत्नी को एक तलाक़ देनी चाहिए। दौराने इद्दत पत्नी को अपने साथ घर में रखकर उसका भरण पोषण अदा करना चाहिए, यह मसनून तलाक़ होगी।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَـهُ وَ هِـيَ حَـائِضٌ فِيْ عَهْـدِ رَسُـوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ لَـهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : **مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُـمَّ تَطْهُـرَ ثُـمَّ إِنْ شَآءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَآءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَّمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ أَمَـرَ اللّٰهُ أَنْ يُّطَلَّـقَ لَهَـا النِّسَآءُ** . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्ल० के दौर में अपनी पत्नी को हालते हैज़ में तलाक़ दी तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने इस बारे में रसूलुल्लाह सल्ल० से मालूम किया तो आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "अब्दुल्लाह को हुक्म दो कि वह अपनी पत्नी से रुजूअ करे। फिर उसे छोड़ दे यहां तक कि वह हैज़ से पाक हो जाए फिर हैज़ आए और फिर पाक हो फिर संभोग किए बिना चाहे तो (उसे अपने निकाह में) रोके रखे चाहे तो तलाक़ दे और यह वह इद्दत है जिसके हिसाब

से अल्लाह तआला ने औरतों को तलाक़ देने का हुक्म दिया है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

2. ग़ैर मसनून तलाक़

मसला 83. हैज़ के दौरान औरत को तलाक़ देना ग़ैर मसनून है।

मसला 84. जिस पाकी में संभोग किया हो उस पाकी में तलाक़ देना ग़ैर मसनून है।

स्पष्टीकरण : 1. हदीस मसला 91 के अन्तर्गत देखें।

2. ग़ैर मसनून तलाक़, सुन्नत के मुताबिक़ न होने के बावजूद हो जाती है, लेकिन तलाक़ देने वाला गुनाह का करने वाला होता है।

3. ग़लत तलाक़

मसला 85. निकाह से पहले तलाक़ देना ग़लत है।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : "निकाह से पहले तलाक़ नहीं है।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

मसला 86. ज़बरदस्ती दिलाई गई तलाक़ ग़लत है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 3 के अन्तर्गत देखें।

मसला 87. नाबालिग़, पागल और मदहोश की तलाक़ ग़लत है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَ عَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكْبُرَ ، وَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

---

1. किताबुत्तलाक़।
2. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1668

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "तीन आदमी शरऔ आदेश के पाबन्द नहीं सोया हुआ, जागने तक। नाबालिग़, बालिग़ होने तक। दीवाना, अक़्ल सही होने तक।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 88. दिल में दी गई तलाक़ नहीं होती जब तक ज़बान से शब्द अदा न किए जाएं।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ **إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِيْ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ** . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत को उनके दिल में आने वाली बातों को माफ़ फ़रमा दिया है जब तक वह उस पर अमल न करें।" इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

मसला 89. दाम्पत्य रिश्ता में सबद्ध पत्नी को ही तलाक़ दी जा सकती है ग़ैर पत्नी पर तलाक़ नहीं होती।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : **لاَ طَلاَقَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ** . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (حسن)

हज़रत उमर बिन शुऐब रज़ि० अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जिस (औरत) का इंसान मालिक ही नहीं उसे तलाक़ नहीं दे सकता।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[3]

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1660
2. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1659
3. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1666

صِفَةُ الطَّلَاقِ

तलाक़ का तरीक़ा

मसला 90. हैज़ से पाक होने के बाद पाकी की हालत में एक तलाक़ देनी चाहिए।

मसला 91. जिस पाकी में तलाक़ देनी हो उस पाकी में संभोग नहीं करना चाहिए।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन रज़ि० फ़रमाते हैं तलाक़े मसनूना का तरीक़ा यह है कि आदमी पाकी की हालत में संभोग के बिना तलाक़ दे। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 92. रजई तलाक़ की इद्दत के दौरान पत्नी को अपने साथ घर में रखना चाहिए।

मसला 93. रजई तलाक़ की इद्दत के दौरान पत्नी का भरण पोषण पति के ज़िम्मे वाजिब है।

स्पष्टीकरण : आयत मसला 137-138 के अन्तर्गत देखें।

मसला 94. एक समय में केवल एक ही तलाक़ देनी चाहिए।

मसला 95. इद्दत तलाक़ (तीन हैज़) गुज़रने के बाद पति पत्नी में स्थाई अलेहदगी हो जाएगी।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فِيْ طَلَاقِ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيْقَةً فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذٰلِكَ حَيْضَةٌ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

---

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1640

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फ़रमाते हैं कि सुन्नत तलाक़ यह है कि पति अपनी पत्नी को हर पाकी में केवल एक तलाक़ दे जब औरत तीसरी बार पाकी हासिल करे तो उसे तलाक़ दे उसके बाद जो हैज़ आएग उस पर इद्दत ख़त्म हो जाएगी। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

1. सहीह सुनन इब्ने माजा लिल अलबानी पहला भाग हदीस1442

مُبَاحَاتُ الطَّلَاقِ

तलाक़ में जाइज़ काम

मसला 96. निकाह के बाद संभोग से पहले तलाक़ देना जाइज़ है।

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ أَوْتَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ج وَ مَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ج مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ (٢:٢٣٦)

"तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम अपनी औरत को हाथ लगाने से पहले या मेहर तै करने से पहले तलाक़ दे दो इस सूरत में उन्हें कुछ न कुछ देना ज़रूर चाहिए। सम्पन्न आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक़ और ग़रीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक भले तरीक़े से दे। यह हक़ है भले आदमियों पर।" (सूरह बक़रा, आयत : 236)

मसला 97. सशर्त या मुअल्लिक़ तलाक़ देना जाइज़ है।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (حسن)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "मुसलमान अपनी शर्तों को पूरा करें।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : सशर्त तलाक़ यह है कि पति अपनी पत्नी से क़सम के शब्द कहे "अगर तू घर से निकली तो तुझे तलाक़ है" ऐसी तलाक़, तलाक़ सशर्त या तलाक़ मुअल्लिक़ कहलाती है जो शर्त पूरी होने पर पूरी हो जाती है।

मसला 98. तलाक़ के लिए पत्नी को अख़्तियार देना जाइज़ है।

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 3063

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ شَيْئًا . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने हमें अख़्तियार दिया और हमने (तलाक़ के मुक़ाबले में) नबी सल्ल० को पसन्द किया अतः आपने (अपने उन शब्दों को) तलाक़ नहीं माना। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : यदि पति पत्नी से कहे कि यदि तू चाहे तो तुझे मेरे साथ रहने या अलग होने का अख़्तियार है और वह तलाक़ अख़्तियार करे तो उसे तलाक़ हो जाएगी वरना नहीं।

मसला 99. दौराने हमल तलाक़ देना जाइज़ है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : **مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ** رَوَاهُ أَبُوْدَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि उन्होंने अपनी पत्नी को हालते हैज़ में तलाक़ दी हज़रत उमर रज़ि० ने नबी अकरम सल्ल० से उसका ज़िक्र किया तो आपने इरशाद फ़रमाया : अब्दुल्लाह से कहो कि रुजूअ करे फिर उसे तलाक़ दे चाहे पाक हो या गर्भवती हो।" इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी दूसरा भाग हदीस 1929
2. सहीह सुनन इब्ने, माजा लिल अलबानी पहला भाग, हदीस 1643

تَطْلِيْقُ الثَّلاَثَةِ

एक साथ तीन तलाक़ें देना

मसला 100. एक साथ तीन तलाक़ें देना सुन्नत के ख़िलाफ़ है।

मसला 101. एक साथ तीन तलाक़ें देने से एक ही तलाक़ होती है।

मसला 102. हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० ने अपनी ख़िलाफ़त के कुछ अर्से बाद एक समय दी गई तीन तलाक़ों को सज़ा के तौर पर तीन तलाक़ें लागू फ़रमाया था।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ أَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ سَنَتَيْنِ مِنْ خَلاَفَةِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً ، وَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُوْا فِىْ أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَـاءَةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं नबी अकरम सल्ल० के ज़माने में और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० के ज़माने में और हज़रत उमर फ़ारुक़ रज़ि० के ज़माना में और दो साल तक एक समय में दी गई तीन तलाक़े एक मानी की जाती थीं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने कहा "जिस चीज़ में लोगों को (सोचने समझने के लिए) मोहलत दी गई थी लोगों ने उस बारे में जल्दबाज़ी से काम लेना शुरू कर दिया है (जो ख़िलाफ़े सुन्नत है) अतः आइंदा हम (सज़ा के तौर पर) एक साथ दी गई तीन तलाक़ों को तीन ही लागू कर देंगे।" अतः (उसके बाद) हज़रत उमर रज़ि० ने अपना फ़ैसला लागू कर दिया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

1. किताबुत्तलाक़, अध्याय तलाक़ सलास।

أَحْكَامُ الْخُلَعِ

ख़ुलअ के मसाइल

मसला 103. जो औरत अपने पति को नापसन्द करती हो वह कुछ बदला देकर पति से अलेहदगी हासिल कर सकती है। शरह में इसे ख़ुलअ कहते हैं।

मसला 104. ख़ुलअ हासिल करने के लिए निम्न शर्तों का होना ज़रूरी है।

1. नापसन्दीदगी का इज़्हार औरत की तरफ़ से होना।

2. नापसन्दीदगी इस हद तक होना कि अलेहदगी न होने की सूरत में अल्लाह की सीमाओं के टूटने का ख़तरा हो।

मसला 105. ख़ुलअ का मामला पति पत्नी या उनके ख़ानदान के बीच आपसी बातचीत से तय न हो सके तो औरत शरअी अदालत की तरफ़ रुजूअ कर सकती है।

मसला 106. ख़ुलअ के लिए औरत से लिया जाने वाला बदला कम व ज़्यादा मेहर के बराबर (या जितना भी कम हो सके) होना चाहिए।

मसला 107. ख़ुलअ में केवल एक तलाक़ से पति पत्नी में पूर्ण अलेहदगी हो जाती है। अगर पति तलाक़ न दे तो शरअी अदालत निकाह निरस्त करने का हुक्म जारी कर सकती है।

﴿ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّآ أَنْ يَّخَافَآ أَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ ﴾ (٢:٢٢٩)

“तलाक़ दो बार है फिर या तो औरत को सीधी तरह रोक लिया जाए या भले तरीक़े से उसे रुख़्सत कर दिया जाए और रुख़्सत करते हुए तुम्हारे

लिए जाइज़ नहीं कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस लो अलबत्ता यह सूरत अपवाद है कि पति पत्नी को अल्लाह की सीमाओं पर क़ायम न रह सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें यह डर हो कि वे दोनों अल्लाह की सीमाओं पर क़ायम न रह सकेंगे तो उन दोनों के बीच यह मामला तै हो जाने में कोई हरज नहीं कि औरत अपने पति को कुछ बदला देकर अलेहदगी हासिल कर ले यह अल्लाह की निर्धारित हदें हैं उनका उल्लंघन न करो और जो लोग इनका उल्लंघन करें वही ज़ालिम हैं।''
(सूरह बक़रा : 229)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ثَابِتُ ابْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِيْ خُلُقٍ وَ لاَ دِيْنٍ وَ لٰكِنِّيْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : **أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ ؟** قَالَتْ : نَعَمْ ! قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : **إِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَ طَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً** . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ि० की पत्नी नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया ''या रसूलुल्लाह सल्ल०! मैं साबित बिन क़ैस की दीनदारी और आचरण में दोष नहीं निकालती बल्कि मुझे मुसलमान होकर पति की नाशुक्री के गुनाह का शिकार होना पसन्द नहीं।'' रसूलुसल्लाह सल्ल० ने उससे मालूम किया ''क्या तुम साबित का (मेहर में) दिया हुआ बाग़ वापस करने को तैयार हो?'' औरत ने अर्ज़ किया ''हां!'' अतः नबी अकरम सल्ल० ने हज़रत साबित बिन क़ैस को हुक्म दिया ''अपना बाग़ वापस ले लो और इसे तलाक़ दे दो।'' इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 108. ख़ुलअ हासिल करने वाली औरत की इद्दत एक हैज़ है।

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

हज़रत रबीअ बिन्ते मुअव्विज़ बिन अफ़रा रज़ि० से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्ल० के ज़माने मे अपने पति से ख़ुलअ लिया तो नबी

1. किताबुल ख़ुलअ, अध्याय ख़ुलअ।

अकरम सल्ल० ने उसे हुक्म दिया "कि वह एक हैज़ इद्दत गुज़ारे।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : ख़ुलअ की इद्दत में मर्द को रुजूअ का हक़ बाक़ी नहीं रहता अलबत्ता इद्दत के बाद मर्द औरत दोनों आपस में निकाह करना चाहें तो कर सकते हैं। (तफ़्हीमुल क़ुरआन, पहला भाग, पृ० 176)

मसला 109. बिना वजह ख़ुलअ लेने वाली औरतें कपटी हैं।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला नम्बर 5 के अन्तर्गत देखें।

मसला 110. जो मर्द औरत को भरण पोषण अदा न करे उससे औरत ख़ुलअ लेना चाहे तो ले सकती है।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ مَالِكٌ

हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रज़ि० फ़रमाते थे कि जब पति के पास पत्नी को देने के लिए भण पोषण न हो तो उन दोनों के बीच अलेहदगी करवा दी जाएगी। इसे मालिक ने रिवायत किया है।[2]

मसला 111. मर्द अपनी पत्नी से संभोग के क़ाबिल न हो तो इलाज के लिए एक साल की मोहलत देने के बाद पत्नी इच्छानुसार ख़ुलअ हासिल कर सकती है।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يَضْرِبُ لَهُ اَجَلٌ سَنَةٍ فَإِنْ مَسَّهَا وَ إِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ مَالِكٌ

हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रज़ि० फ़रमाते हैं जो व्यक्ति किसी औरत से निकाह करे और वह उससे संभोग की क़ुदरत न रखता हो तो उस मर्द को एक साल की मोहलत (इलाज के लिए) दी जाएगी अगर उस अवधि में वह संभोग पर समर्थ हो जाए तो बेहतर वरना पति पत्नी के बीच अलेहदगी करवा दी जाएगी। इसे मालिक ने रिवायत किया है।[3]

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 945
2. मौत्ता इमाम मालिक, अध्याय जामेअ तलाक़।
3. मौत्ता इमाम मालिक,

أَحْكَامُ اللِّعَانِ

लिआन के अहकाम

मसला 112. मर्द को अपनी पत्नी के बारे में ज़िनाकारी का विश्वास हो तो उससे अलेहदगी का तरीक़ा यह है कि वह मर्द शरअी अदालत में जाकर चार बार स्वयं गवाही दे कि "मैं अल्लाह की क़सम खाकर गवाही देता हूं कि यह औरत ज़ानिया है" और पांचवीं बार यूं कहे "अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत" अगर औरत ज़िना का इक़रार कर ले तो शरअी क़ानून के मुताबिक़ अदालत उसे संगसार करने का हुक्म देगी। अगर औरत इंकार करे तो उसे निम्न शब्द चार बार कहने पड़ेंगे "मैं अल्लाह की क़सम खाकर कहती हूं कि मर्द झूठा है" और पांचवीं बार यूं कहे "अगर मर्द सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का प्रकोप नाज़िल हो।" इसके बाद दोनों पति पत्नी में अदालत स्थाई अलेहदगी करा देगी। इसे शरअ में "लिआन" कहते हैं।

﴿ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۞ وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ۞ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۞ ﴾ (٢٤:٦-٩)

"और जो लोग अपनी पत्नियों पर आरोप लगाएं और उनके पास स्वयं उनके अपने सिवा कोई दूसरे गवाह न हों तो उनमें से एक व्यक्ति की गवाही (यूं होगी कि वह) चार बार अल्लाह की क़सम खाकर गवाही दे कि वह (अपने आरोप में) सच्चा है और पांचवीं बार कहे कि अगर वह झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत हो। औरत से सज़ा इस तरह टल सकती है कि वह चार बार अल्लाह की क़सम खाकर गवाही दे कि यह व्यक्ति झूठा है और पांचवीं बार यूं कहे अगर मर्द सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का प्रकोप टूटे।"

(सूरह नूर : 6-9)

मसला 113. लिआन के बाद मर्द से हद क़ज़फ़ (तोहमत) ख़त्म हो जाती है और औरत से हद ज़िना साक़ित हो जाती है।

मसला 114. लिआन केवल शरअी अदालत के सामने ही हो सकता है।

मसला 115. लिआन से पहले क़ाज़ी को मर्द व औरत दोनों को अपराध स्वीकाने की तर्ग़ीब दिलानी चाहिए अगर दोनों में से कोई भी अपराध स्वीकारने न करे तब लिआन करवाना चाहिए।

मसला 116. व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर क़ाज़ी मुजरिम पर हद जारी नहीं कर सकता जब तक गवाही न हो।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ إِمْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَآءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْبَيِّنَةُ أَوْ حَدًّا فِيْ ظَهْرِكَ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ إِذَا رَأَى اَحَدُنَا عَلَى إِمْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْبَيِّنَةُ وَ إِلاَّ حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ ، فَقَالَ هِلاَلٌ : وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّيْ لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِيْ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرَائِيْلُ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ فَقَرَأَ حَتّٰى بَلَغَ ﴿ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ (٢٤:٦-١٠) ﴾ فَجَاءَ هِلاَلٌ ، فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوْهَا وَ قَالُوْا إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَتَلَكَّأَتْ وَ نَكَصَتْ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِيْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ وَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْصِرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَآءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذٰلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ لاَ مَضٰى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि हिलाल बिन उमैया रज़ि० ने नबी अकरम सल्ल० की सेवा में अपनी पत्नी पर शरीक बिन सहमा के साथ ज़िना की तोहमत लगाई। नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "गवाह लाओ या तुम्हारी पीठ पर हद नाफ़िज़ की जाएगी।" हिलाल बिन उमैया रज़ि० ने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल०! हममें से जब कोई

अपनी पत्नी को ग़ैर मर्द के साथ ज़िना करते देखे तो क्या वह गवाही तलाश करने चला जाए?" नबी अकरम सल्ल० ने दोबारा यही बात इरशाद फ़रमाई "गवाह पेश करो वरना तुम्हारी पीठ पर हद जारी होगी।" हिलाल बिन उमैया रज़ि ने अर्ज़ किया "उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है मैं सच्चा हूं और अल्लाह तआला निश्चय ही ऐसी आयतें नाज़िल फ़रमाएगा जिनसे मेरी पीठ को हद से बचा लेगा।" अतएव हज़रत जिबरील अलैहि० ये आयतें लेकर नाज़िल हुए "वे लोग जो अपनी पत्नियों पर तोहमत लगाते हैं" से लेकर "अगर वह सच्चा है" तक (सूरह नूर : 6-10) (आयात नाज़िल होने के बाद) हज़रत हिलाल रज़ि० आए और लिआन किया। नबी अकरम सल्ल० ने (दोनों पति पत्नी को सम्बोध करके) फ़रमाया "बेशक अल्लाह तआला जानता है तुम दोनों में से एक ज़रूर झूठा है क्या तुममें से कोई एक (जो झूठा है) तौबा करता है?" किसी ने तौबा न की और औरत (लिआन के लिए) खड़ी हो गई। उसने चार बार गवाही दी (कि मर्द झूठा है) और पांचवीं बार गवाही देने लगी तो लोगों ने उसे रोका कि पांचवीं गवाही (अल्लाह के प्रकोप को) वाजिब करनें वाली है। (अतः अच्छी तरह सोच लो) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० कहते हैं औरत रुक गई और हिचकिचाने लगी हमने गुमान किया कि वह (अपने गुनाह का) एतेराफ़ कर लेगी। लेकिन उसने कहा "मैं अपनी क़ौम को हमेशा के लिए रुसवा नहीं करना चाहती।" और पांचवीं गवाही दे दी (अर्थात अगर मर्द सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का प्रकोप टूटे) नबी अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया "इसका ध्यान रखना अगर इसके यहां सुर्मगी आंखों वाला, मोटी पीठ वाला और भरी भरी पिंडलियों वाला बच्चा हुआ तो शरीक का होगा।" अतः ऐसा ही हुआ। (बच्चे की पैदाइश के बाद) रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "अगर अल्लाह की किताब का क़ानून लिआन न होता तो मैं (इस औरत पर) हद जारी कर देता।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 117. लिआन के बाद पैदा होने वाला बच्चा बाप की बजाए मां

---

1. मिश्कातुल मसाबीह, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 3307

से मंसूब किया जाएगा।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَ امْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने एक मर्द और औरत में लिआन करवाया मर्द कहने लगा औरत के यहां पैदा होने वाला बच्चा मेरा नहीं है अतः नबी अकरम सल्ल० ने दोनों को अलेहदा कर दिया और बच्चे का नसब औरत से लगा दिया। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 118. लिआन के बाद अलग होने वाला मर्द और औरत दोनों किसी सूरत में निकाह नहीं कर सकते।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَضَرْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

हज़रत सहल बिन साअद रज़ि० फ़रमाते हैं कि (अवेमिर और उसकी पत्नी के लिआन के समय) मैं रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में हाज़िर था तब से आपस में लिआन करने वाले मर्द और औरत के बारे में यह सुन्नत जारी हो गई कि वह दोबारा कभी निकाह नहीं कर सकते। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[2]

मसला 119. लिआन के बाद मां की तरफ़ मंसूब किया जाने वाला बच्चा मां की विरासत हासिल करेगा और मां बच्चे की विरासत हासिल करेगी।

मसला 120. लिआन के बाद मर्द या औरत को ज़ानी कहने वाले पर हद जारी होगी।

मसला 121. लिआन करने वाले मर्द और औरत के यहां पैदा होने वाले बच्चे को वलदुज़्ज़िना (हरामी बच्चा) कहने वाले पर भी हद जारी होगी।

---

1. किताबुत्तलाक़,
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 1969

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ مَنْ رَمَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِيْنَ وَ مَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنًا جُلِدَ ثَمَانِيْنَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ

हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने बाप से वह अपने दादा (रज़ि०) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने लिआन करने वालों की औलाद के बारे में यह फ़ैसला फ़रमाया है कि "मां औलाद की और औलाद मां की विरासत होगी अगर कोई औरत को ज़ानिया कहेगा तो उसे अस्सी कोड़े मारे जाएंगे और जो औलाद को वलदुज़्ज़िना (हरामी) कहेगा उसे भी अस्सी कोड़े मारे जाएंगे।" इसे अहमद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 122. मर्द और औरत के बीच जब तक लिआन न हो तब तक बच्चा बाप की तरफ़ ही मंसूब होगा।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "बच्चा पत्नी वाले का है। और ज़ानी के लिए पत्थर हैं।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।[2]

---

1. नैलुल अवतार, किताबुल्लिआन।
2. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 3258

أَحْكَامُ الظِّهَارِ

ज़िहार के आदेश

मसला 123. पत्नी को मां या बहन कहकर अपने ऊपर हराम कर लेना मना है शरअ में इसे ज़िहार कहते हैं।

मसला 124. ज़िहार करने से पत्नी हमेशा के लिए हराम नहीं होती अलबत्ता रुजूअ करने से पहले कफ़्फ़ारा अदा करना ज़रूरी है।

मसला 125. ज़िहार का कफ़्फ़ारा एक ग़ुलाम आज़ाद करना या निरंतर दो माह के रोज़े रखना या साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना है।

﴿ اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـئِ
وَلَدْنَهُمْ ط وَ اِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ o وَالَّذِيْنَ
يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط ذٰلِكُمْ
تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ o فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ
اَنْ يَّتَمَآسَّا ط فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ط ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط وَ
تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ o ﴾ (٥٨:٢-٤)

"तुममें से जो लोग अपनी पत्नियों से ज़िहार करते हैं उनकी पत्नियां उनकी मांएं नहीं हैं उनकी माएं तो वही हैं जिन्होंने उनको जना है ये लोग एक सख़्त नापसन्दीदा झूठी बात कहते हैं। हक़ीक़त यह है कि अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और दरगुज़र फ़रमाने वाला है। जो लोग अपनी पत्नियों से ज़िहार करें फिर अपनी उस बात से रुजूअ करें जो उन्होंने कही थी तो इससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाएं एक ग़ुलाम आज़ाद करना होगा इसकी तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाख़बर है। जो व्यक्ति ग़ुलाम न पाए वह दो महीने के लगातार रोज़े रखे इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं और जो इस पर भी समर्थ न हो वह साठ मिस्कीनों को खाना खिलाए यह हुक्म इसलिए दिया जा रहा

है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। यह अल्लाह की निर्धारित हदें हैं और काफ़िरों के लिए दर्दनाक सज़ा है।"

(सूरह मुजादला : 2-3)

मसला 126. ज़िहार करने के बाद कफ़्फ़ारा अदा करने से पहले अगर कोई व्यक्ति पत्नी से संभोग कर ले तो उसे तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए दोहरा कफ़्फ़ारा नहीं होगा।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ إِمْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ ظَاهَرْتُ مِنْ إِمْرَأَتِيْ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ : وَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذٰلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ ، قَالَ : رَأَيْتُ خَلْخَا لَهَا فِيْ ضَوْءِ الْقَمَرِ . قَالَ : فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتّٰى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (حسن)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि एक आदमी नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुआ जिसने अपनी पत्नी से ज़िहार किया था लेकिन कफ़्फ़ारा अदा करने से पहले संभोग कर बैठा। उसने अर्ज़ किया : "या रसूलुल्लाह सल्ल०! मैंने अपनी पत्नी से ज़िहार किया था लेकिन कफ़्फ़ारा अदा करने से पहले संभोग कर लिया है।" आप सल्ल० ने मालूम किया "अल्लाह तुझ पर रहम फ़रमाए किस चीज़ ने तुम्हें ऐसा करने पर उकसाया किया?" उसने अर्ज़ किया "मैंने चांदनी में उसकी पाज़ेब देखी (और अपने आप पर क़ाबू न रख सका)" आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया "दोबारा उसके क़रीब न जाना जब तक कफ़्फ़ारा अदा न कर लो।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 958

أَحْكَامُ الْإِيْلَاءِ

ईला के मसाइल

मसला 127. चार माह से कम मुद्दत के लिए बतौर तंबीह पत्नी के जिन्सी तक़ाज़ों को पूरा न करने की इजाज़त है शरअ में इसे "ईला" कहते हैं।

मसला 128. ईला की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत (अर्थात चार माह) गुज़रने के बाद पति को या तो ईला से रुजूअ करना चाहिए या तलाक़ दे देनी चाहिए।

﴿ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ ﴾ (٢:٢٢٦– ٢٢٧)

"जो लोग अपनी औरतों से संबंध न रखने की क़सम खा बैठते हैं उनके लिए चार महीने की मोहलत है अगर उन्होंने रुजूअ कर लिया तो अल्लाह माफ़ करने वाला और दया करने वाला है। और अगर उन्होंने तलाक़ का फ़ैसला कर ही लिया हो तो याद रखें कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है।" (सूरह बक़रा : 226-227)

स्पष्टीकरण : किसी ज़रूरत के तहत आपसी रज़ामन्दी से पति का अपनी पत्नी से चार महीने या उससे ज़्यादा मुद्दत तक अलग रहना जाइज़ और सही है।

मसला 129. यातना पहुंचाने के लिए ईला करना मना है।

عَنْ أَبِيْ صِرْمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللّٰهُ بِهِ وَ مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (حسن)

हज़रत अबू सरमा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जो किसी को नुक़्सान पहुंचाएगा अल्लाह उसे नुक़्सान पहुंचाएगा और जिसने किसी पर सख़्ती की अल्लाह उस पर सख़्ती करेगा।" इसे इब्ने

माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 130. ईला की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत (अर्थात चार माह) गुज़रने के बावजूद पति पत्नी से जिन्सी संबंध क़ायम न करे और तलाक़ भी न दे तो औरत शरअी अदालत की तरफ़ रुजूअ कर सकती है। अदालत ईला से रुजूअ या तलाक़ दोनों में से किसी एक के लिए मर्द को पाबन्द करने का अख़्तियार रखती है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوْقَفُ حَتّٰى يُطَلِّقَ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फ़रमाते हैं जब ईला के चार महीने गुज़र जाएं तो मर्द को तलाक़ देने पर मजबूर किया जाएगा। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : ईला के नतीजे में अगर मर्द अपनी पत्नी को तलाक़ दे दे तो इद्दत के लिए आम तलाक़ की इद्दत होगी।

मसला 131. यदि पति शपथ की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ईला से रुजूअ कर ले तो उसे अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करना चाहिए।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَفْعَلْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जो व्यक्ति किसी बात की क़सम खाए और फिर किसी दूसरी बात को उससे बेहतर पाए तो अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर दे और बेहतर बात पर अमल करे।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

स्पष्टीकरण : क़सम का कफ़्फ़ारा दस मिस्कीनों को खाना खिलाना या कपड़े पहनाना या एक ग़ुलाम आज़ाद करना है अगर उनमें से किसी काम की क़ुदरत न हो तो फिर तीन दिन के रोज़े रखना है। (सूरह माइदा : 89)

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 1897
2. किताबुत्तलाक़।
3. किताबुल ईमान।

मसला 132. रसूले अकरम सल्ल० ने एक महीने के लिए ईला किया था।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَآئِهِ وَ كَانَتْ إِنْفَكَتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَّ عِشْرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَ ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! آلَيْتَ شَهْرًا ؟ فَقَالَ : اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَّ عِشْرُوْنَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने अपनी औरतों से ईला किया उस समय आप सल्ल० के पांव में मोच आई हुई थी और नबी अकरम सल्ल० 29 दिनों तक अलग बालाख़ाने में क़याम पज़ीर रहे। 29 दिनों के बाद तशरीफ़ लाए तो लोगों ने कहा, आपने तो एक महीने की क़सम खाई थी। आप सल्ल० ने फ़रमाया "महीना 29 दिन का भी होता है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

1. किताबुत्तलाक़।

اَلْــعِـدَّةُ

इद्दत के मसाइल

मसला 133. उम्र की अधिकता की वजह से जिन औरतों को हैज़ आना बन्द हो गया हो उनकी तलाक़ की इद्दत तीन माह है।

मसला 134. कम उम्र की वजह से जिन औरतों को हैज़ आना अभी शुरू न हुआ उनकी तलाक़ की इद्दत भी तीन माह है।

मसला 135. गर्भवती औरतों की इद्दत गर्भ होना है चाहे कुछ दिन हो या कुछ हफ़्ते हो या कुछ महीने।

﴿ وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ط وَ أُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ط وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ أَمْرِهٖ يُسْرًا ○ ﴾ (٦٥:٤)

"और तुम्हारी औरतों में से जो हैज़ से निराश हो चुकी हों उनके मामले में अगर तुम्हें कोई शक है तो (मालूम होना चाहिए कि) उनकी इद्दत तीन महीने है और यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी हैज़ न आया हो और गर्भवती औरतों की इद्दत यह है कि उनका गर्भ पूरा हो जाए। जो व्यक्ति अल्लाह से डरे उसके मामले में वह अवधि पैदा कर देता है।" (सूरह तलाक़ : 4)

मसला 136. दौराने इद्दत औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती।

﴿ وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط ذٰلِكُمْ أَزْكٰى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○ ﴾ (٢:٢٣٢)

"जब तुम अपनी औरतों को तलाक़ दे चुको और वह अपनी इद्दत पूरी कर लें तो फिर उन्हें अपने (पिछले) पतियों से निकाह करने से न रोको जब वे भले तरीक़े से आपस में निकाह पर राज़ी हों। तुम्हें नसीहत की जाती है

कि ऐसी हरकत कदापि न करना अगर तुम अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हो, तुम्हारे लिए भला और बेहतर तरीक़ा यही है कि उससे बचो। अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते।" (सूरह बक़रा : 232)

मसला 137. इद्दत के ज़माने में रजई तलाक़ वाली औरत को अपने साथ रखना चाहिए।

मसला 138. इद्दत के ज़माने में पति रजई तलाक़ वाली औरत के भरण पोषण का ज़िम्मेदार है।

﴿ أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَ لاَ تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ط وَ إِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ج فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ ج وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ج وَ إِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَـهٗٓ أُخْـرٰى ٥ ﴾

"औरतों को (इद्दत के ज़माने में) उसी जगह रखो जहां तुम रहते हो जैसी कुछ भी जगह तुम्हें हासिल हो। और तंग करने के लिए औरतों को मत सताओ। फिर अगर वे तुम्हारे (बच्चे को) दूध पिलाएं तो उनकी उजरत उन्हें दो और भले तरीक़े से (उजरत का मामला) आपसी बातचीत से तै कर लो लेकिन अगर तुमने (उजरत तै करने में) एक दूसरे को तंग किया तो बच्चे को कोई और औरत दूध पिला लेगी।" (सूरह तलाक़ : 6)

मसला 139. ग़ैर गर्भवती और मदख़ूला तलाक़शुदा की इद्दत तीन पाकी या तीन हैज़ है।

स्पष्टीकरण : मसला नम्बर 10 देखें।

मसला 140. ग़ैर मदख़ूला तलाक़शुदा की कोई इद्दत नहीं।

स्पष्टीकरण : मसला नम्बर 23 देखें।

मसला 141. जिस औरत का पति मर जाए उसकी इद्दत चार माह दस दिन है।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : لاَ تَحِدُّ إِمْرَأَةٌ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا وَ لاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ وَ لاَ تَكْتَحِلُ وَ لاَ تَمَسُّ طِيْبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत उम्मे अतिया रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "कोई औरत मय्यित पर सोग के लिए तीन दिन से ज़्यादा मुक़र्रर न करे सिवाए अपने पति के जिसके लिए चार माह दस दिन की इद्दत है। इस दौरान औरत रंगा हुआ कपड़ा न पहने, या यह कि रंगदार बना हुआ हो न सुर्मा लगाए न ख़ुश्बू इस्तेमाल करे अलबत्ता जब हैज़ से पाक हो तो हैज़ के ख़ून की बदबू दूर करने के लिए (मामूली सी) कुस्त या अज़्फ़ार की ख़ुश्बू इस्तेमाल कर सकती है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 142. ख़ुलअ हासिल करने वाली औरत की इद्दत एक हैज़ है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला नम्बर 108 के अन्तर्गत देखें।

मसला 143. जिस औरत का पति मर गया हो उसे इद्दत का ज़माना हर सूरत में अपने पति के घर में ही गुज़ारना चाहिए।

मसला 144. सख़्त ज़रूरत के तहत घर से निकलने की रुख़्सत है लेकिन रात घर आकर बसर करना ज़रूरी है।

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سَنَانٍ وَ هِيَ أُخْتُ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِيْ بَنِيْ خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِيْ طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبْقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِطَرَفِ الْقُدُوْمِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِيْ فَإِنِّيْ لَمْ يَتْرُكْنِيْ فِيْ مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَ لاَ نَفَقَةٍ قَالَتْ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ ، قَالَتْ : فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِيْ أَوْ أَمَرَ بِيْ فَدُعِيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِيْ ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِيْ ، قَالَتْ : فَقَالَ امْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِيْ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَ قَضَى بِهِ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

हज़रत ज़ैनब बिन्ते काअब बिन उजरा रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० की बहन फ़ुरीआ बिन्ते मालिक बिन सनान रज़ि०

---

1. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 864

ने उन्हें बताया कि वह रसूलुल्लाह सल्ल० के पास आई और पूछा, "क्या वह बनी ख़ुदरा में अपने घर जा सकती है? क्योंकि मेरे पति के ग़ुलाम भाग गए हैं वह उन्हें ढूंडने निकले। जब तरफ़ क़दूम (एक स्थान है मदीना से सात मील पर) पहुंचे तो वहां ग़ुलामों को पाया और ग़ुलामों ने मेरे पति को मार डाला।" अतएव मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० से मालूम किया "क्या मैं अपने घर वापस चली जाऊं क्योंकि मेरा पति मेरे लिए कोई मकान या ख़र्च आदि छोड़कर नहीं मरा?" हज़रत फ़ुरीआ रज़ि० कहती हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "हां चली जाओ।" हज़रत फ़ुरीआ रज़ि० कहती हैं कि मैं वहां से निकली अभी मस्जिद या हुजरे में ही थी तो नबी अकरम सल्ल० ने मुझे बुलाया या किसी को बुलाने का हुक्म दिया और मुझे बुलाया गया। आपने इरशाद फ़रमाया : "तुमने क्या कहा था?" मैंने सारी बात दोबारा बयान की जो मैंने अपने पति के बारे में कही थी। हज़रत फ़ुरीआ रज़ि० कहती हैं तब रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "अपने घर में ठहरी रहो यहां तक कि इद्दत पूरी हो जाए।" अतः मैंने उस घर में चार माह दस दिन पूरे किए। हज़रत फ़ुरीआ रज़ि० कहती हैं कि जब हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान रज़ि० ख़लीफ़ा बने तो उन्होंने मेरे पास पैग़ाम भेजा और मसला मालूम किया, तो मैंने उन्हें यही बताया और उन्होंने उसके मुताबिक़ फ़ैसला किया। इसे अबू nkÅn usfjok;r fd;kgSA[1]

मसला 145. गुमशुदा पति की पत्नी चार साल इंतिज़ार करने के बाद इद्दत (चार माह दस दिन) गुज़ार कर दूसरा निकाह कर सकती है।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ . رَوَاهُ مَالِكٌ

हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने गुमशुदा पति वाली औरत के बारे में फ़रमाया कि वह चार साल इंतिज़ार करे उसके बाद चार माह दस दिन इद्दत गुज़ार कर (चाहे तो) निकाह कर ले। इसे मालिक ने रिवायत किया है।[2]

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 2016
2. किताबुत्तलाक़।

أَحْكَامُ النَّفَقَةِ

औरत के भरण पोषण के मसाइल

मसला 146. पत्नी का भरण पोषण मर्द के ज़िम्मे है।

मसला 147. पत्नी का भरण पोषण पति की हैसियत के अनुसार है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला नम्बर 70 के अन्तर्गत देखें।

मसला 148. पत्नी का भरण पोषण दूसरे रिश्तेदारों के भरण पोषण पर मुक़द्दम है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला नम्बर 71 के अन्तर्गत देखें।

मसला 149. दौराने इद्दत तलाक़शुदा पत्नी का भरण पोषण मर्द के ज़िम्मे वाजिब है।

स्पष्टीकरण : आयत मसला नम्बर 137 के अन्तर्गत देखें।

मसला 150. तीसरी तलाक़ के बाद मर्द औरत के भरण पोषण का ज़िम्मेदार नहीं।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُوْلُ : إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ سَكْنَى وَ لاَ نَفَقَةً . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस रज़ि० से रिवायत है कि उनके पति उन्हें तीन तलाक़ें दे दें, रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़ातिमा के लिए न ख़र्च का हुक्म दिया न रिहाइश का। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 151. जो व्यक्ति पत्नी को भरण पोषण न दे, उससे औरत तलाक़ लेना चाहे तो ले सकती है।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : فِي الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1655

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने अपनी पत्नी को ख़र्च न देने वाले आदमी के बारे में फ़रमाया "उन दोनों को अलग करा दिया जाए।" इसे दारे क़ुतनी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 152. अगर पति जाइज़ ज़रूरतों का ख़र्च भी अदा न करे तो पत्नी पति की इजाज़त के बिना इतना माल ख़र्च कर सकती है जो पति को नापसन्द न हो।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا ؟ قَالَ : خُذِىْ أَنْتِ وَ بَنُوْكِ مَا يَكْفِيْكِ بِالْمَعْرُوْفِ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ि० की मां हिन्द ने रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में अर्ज़ किया : "अबू सुफ़ियान कंजूस आदमी है (अर्थात ज़रूरत भर ख़र्च नहीं देता) अगर मैं उसके माल से बिना इजाज़त ले लूं तो मुझ पर कोई गुनाह है? आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया "दस्तूर के मुताबिक़ अपना और औलाद का ख़र्च (बिना इजाज़त) ले लो।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

---

1. नैलुल अवतार, किताबुल नुफ़क़ा।
2. मुख़्तसर सहीह बुख़ारी, लिल ज़ुबैदी, हदीस 1041

أَحْكَامُ الْحَضَانَةِ

बच्चे की शिक्षा दीक्षा के मसाइल

मसला 153. तलाक़ की सूरत में औलाद पर बाप का हक़ होता है मां का नहीं।

मसला 154. मर्द और औरत में तलाक़ के बाद बच्चे की शिक्षा दीक्षा पर मां का हक़ सबसे ज़यादा है।

मसला 155. औरत दूसरा निकाह कर ले तो उसका हक़ स्वयं ही ख़त्म हो जाता है।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ ابْنِيْ هٰذَا كَانَ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءً وَ ثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءً وَ حَجْرِيْ لَهُ حِوَاءً وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِيْ وَ أَرَادَ أَنْ يَّنْزِعَهُ مِنِّيْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : **أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِيْ** . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि० से रिवायत है कि एक औरत ने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह! यह मेरा बेटा है मेरा पेट इसके लिए पनाह और मेरी छाती इसके लिए मिश्कीज़ा और मेरी गोद इसके लिए गहवारा थी, अब इसके बाप ने मुझे तलाक़ दे दी है और बच्चा मुझसे छीनना चाहता है।" आपने उससे इरशाद फ़रमाया "जब तक (दूसरा) निकाह न करे बच्चे की तू ज़्यादा हक़दार है।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 156. अगर बाप बच्चे को तलाक़शुदा मां का दूध पिलाना चाहे तो आपसी रज़ामन्दी से उसका बदला तै कर लेना चाहिए।

स्पष्टीकरण : आयत मसला नम्बर 138 के अन्तर्गत देखें।

मसला 157. तलाक़ के बाद मां और बाप दोनों बच्चे को अपने पास रखने पर आग्रह करें तो दोनों को आपस में क़ुरआ डाल कर फ़ैसला करना चाहिए।

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 1991

मसला 158. बच्चा अगर समझदार हो तो फ़ैसला स्वयं बच्चे की पसन्द पर भी किया जा सकता है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنَّ زَوْجِي يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَ قَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُنَبَةَ وَ قَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِسْتَهِمَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ زَوْجُهَا : مَنْ يُحَاقُنِي فِي وَلَدِي ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : **هٰذَا أَبُوْكَ وَ هٰذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ** ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल०! मेरा पति (तलाक़ के बाद) चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे छीन ले यद्यपि वह मुझे अबू अंबा के कुएं से पानी लाकर देता है और मुझे (कुछ दूसरे) फ़ायदे भी पहुंचाता है।" नबी अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया "क़ुरआ डाल लो।" पति ने कहा, "मेरे बेटे के मामले में कौन मुझसे झगड़ा कर सकता है?" तब रसूलुल्लाह सल्ल० ने (लड़के से) फ़रमाया "यह तेरा बाप है और यह तेरी मां है दोनों में से जिसका चाहो हाथ पकड़ लो।" लड़के ने मां का हाथ पकड़ लिया और वह उसे अपने साथ ले गई। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 159. मां की तलाक़ या वफ़ात के बाद ख़ाला बच्चे का प्रशिक्षण करने की ज़्यादा हक़दार है।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِيٌّ وَ جَعْفَرٌ وَ زَيْدٌ فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَحَقُّ بِهَا هِيَ إِبْنَةُ عَمِّيْ ، وَ قَالَ جَعْفَرٌ : بِنْتُ عَمِّيْ وَ خَالَتُهَا تَحْتِيْ وَ قَالَ زَيْدٌ : إِبْنَةُ أَخِيْ ، فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَ قَالَ : **اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ** . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत बराअ बिन आज़िब रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत हमज़ा रज़ि० की बेटी के बारे में हज़रत अली रज़ि०, हज़रत जाफ़र रज़ि० और

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 1993

हज़रत ज़ैद रज़ि० के बीच तकरार हुई, तो हज़रत अली रज़ि० ने कहा "मैं इसका प्रशिक्षण करने का ज़्यादा हक़दार हूं यह मेरे चचा की बेटी है।" हज़रत जाफ़र रज़ि० ने भी कहा "मेरे चचा की बेटी है (अतः मैं ज़्यादा हक़दार हूं।)" हज़रत ज़ैद रज़ि० ने कहा "मेरी भतीजी है (अतः मैं ज़्यादा हक़दार हूं)।" नबी अकरम सल्ल० ने ख़ाला के हक़ में फ़ैसला फ़रमा दिया (और बच्ची हज़रत जाफ़र रज़ि० को दे दी) और फ़रमाया "ख़ाला मां के बराबर है।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 160. तलाक़ के बाद बच्चा अपनी मां के पास हो (या बाप के पास) जब भी बच्चा अपने बाप (या मां) से मिलना चाहे उसे इजाज़त देनी चाहिए।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ **اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِـالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللهُ وَ مَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللهُ** . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "रहम अर्श से लटका हुआ है और पुकारता है जो मुझे मिलाए अल्लाह उसे मिलाए और जो मुझे काटे अल्लाह उसे काटे।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

---

1. नैलुल अवतार, किताबुल नफ़क़ा।
2. किताबुल बर वस्सिला।

हमारी दावत यह है कि!

1. रसूले अकरम सल्ल० ने उम्मत को जिस बात का हुक्म दिया है या जिसे स्वयं किया है या जिसे करने की इजाज़त दी है उसे ठीक ठीक उसी तरह कीजिए और जिस बात से आप सल्ल० ने मना फ़रमाया है उससे रुक जाइए इरशाद बारी तआला है :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٥٩:٧)

"जो कुछ रसूल तुम्हें दें वह ले लो और जिस चीज़ से मना करें उससे रुक जाओ।" (सूरह हश्र : 7)

2. रसूले अकरम सल्ल० ने दीन के मामले में जो काम सारी पवित्र जीवनी में नहीं किया वह काम अपनी मर्ज़ी से करके अल्लाह के रसूल सल्ल० से आगे बढ़ने की हिम्मत न कीजिए। इरशाद बारी तआला है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٤٩:١)

"ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो! अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो।" (सूरह हुजुरात : 1)

3. रसूले अकरम सल्ल० के आज्ञापालन और अनुसरण के मुक़ाबले में किसी दूसरे का आज्ञापालन और अनुसरण करके अपने कर्म बर्बाद न कीजिए। इरशाद बारी तआला है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

"ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो! अल्लाह का आज्ञा पालन करो, रसूल का आज्ञा पालन करो और (किसी दूसरे का आज्ञा पालन करके) अपने कर्म बर्बाद न करो।" (सूरह मुहम्मद : 33)

जो लोग हमारी इस दावत से सहमत हों

हम उनसे सहयोग की विनती करते हैं!

Talaq Ke Masail



Al-Kitab International الكتاب انٹرنیشنل

Jamia Nagar, New Delhi-25

Ph.: 26986973 M. 9312508762